इंड छवि

अंक : 16 मार्च - जून 2019

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक YOUR OWN BANK

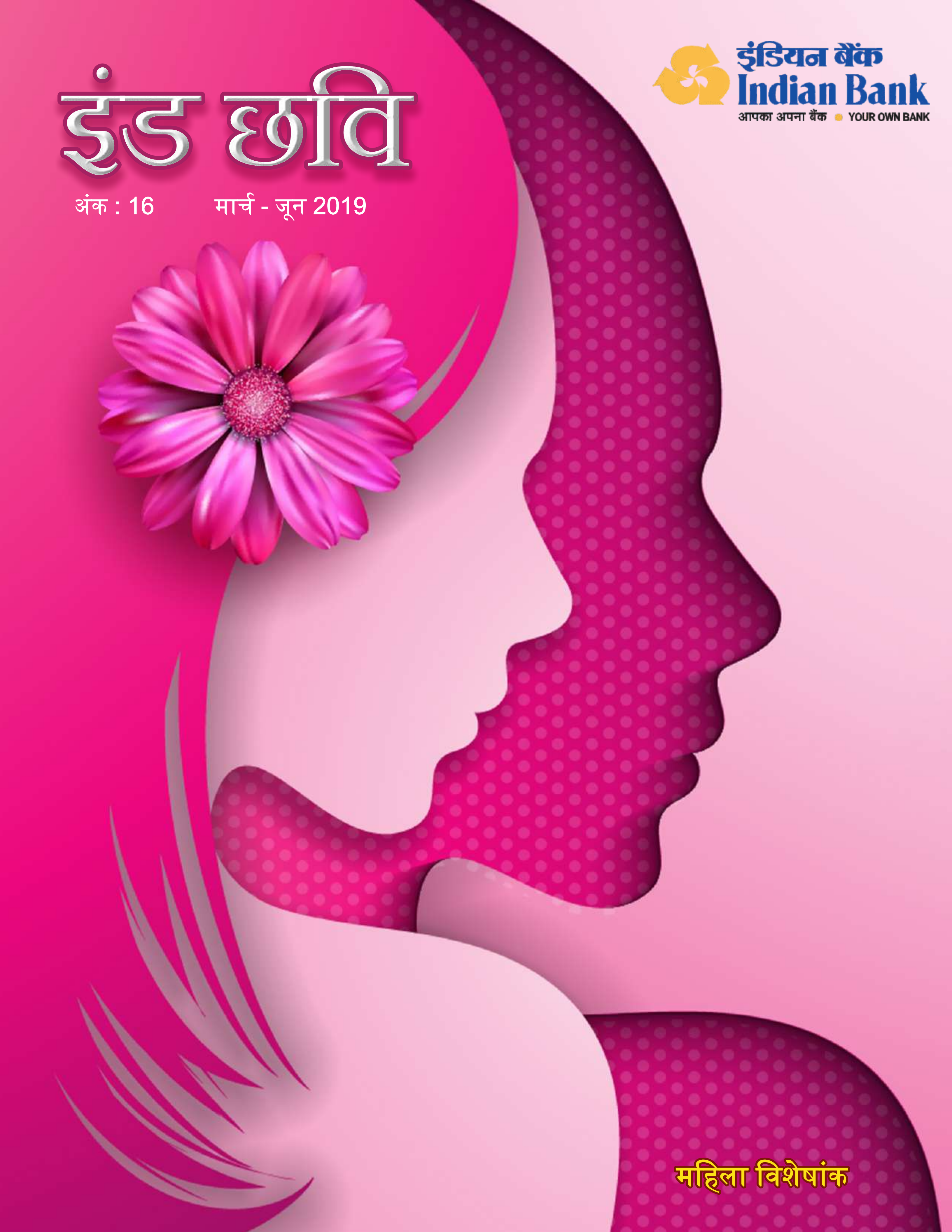

महिला विशेषांक

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान तमिलनाडु में एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट निष्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में हमारे बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री पद्मजा चुन्डूरू, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक तमिलनाडु के माननीय मंत्री श्री डी जयकुमार से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

हमारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री पद्मजा चुन्डूरू कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के डिजिटल एनरोलमेंट कैंपेन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए। इस अवसर पर श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक, (बायें से द्वितीय), श्री वी वी शेणॉय कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक (बायें से प्रथम) एवं श्री एस रेंगराजन, महाप्रबंधक, डिजिटल बैंकिंग (दाहिने से प्रथम) उपस्थित रहे।

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय :
राजभाषा विभाग,
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै – 600 014
वेबसाइट : www.indianbank.co.in
ई-मेल : hoolc@indianbank.co.in

मुख्य संरक्षक
सुश्री पद्मजा चुन्डूरू
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
श्री एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
पी सी दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा)

मुख्य संपादक
डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

संपादक
श्री अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (राभा)

सह - संपादक
श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)

संपादन सहयोग
एस तिरुवल्लुवन, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
ओम प्रकाश वर्मा, प्रबंधक (राभा)
कुलवेन्द्र सिंह, प्रबंधक (राभा)
चन्दन कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक (राभा)
श्वेता गंगिरेड्डी, सहायक प्रबंधक (राभा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं में व्यक्त विचार, लेखकों के अपने हैं। इंडियन बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के लेखकों एवं रचनाकारों से मौलिकता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अनुक्रमणिका

संदेश

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश 2
- कार्यपालक निदेशकों का संदेश 3-4
- महाप्रबंधक का संदेश 5
- मुख्य संपादक का संदेश 6
- संपादक की कलम से..................... 7

लेख

बैंकिंग जगत

- वित्तीय समावेशन 8
- हिन्दी और बैंकिंग "दो पंथ एक काज" 10

सूचना – तकनीकी

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता 14

अन्य लेख

- भारतीय समाज और महिलायें 19
- हमारे समाज का सच 29

काव्य-वीथि

- बदलता बचपन 9
- ग़ज़ल 13
- बेटी 28
- लड़की 30
- वो शख्स कोई और था 31
- बेटी 40
- कशमकश 42
- आत्मलाप 45

राजभाषा : प्रेरणा एवं प्रोत्साहन

- मेरी मातृभाषा, मेरी पहचान 42
- **अंक विशेष**
- महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता 26
- बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ 31
- सशक्त स्त्री – सफल अर्थव्यवस्था 34
- नारी तुम केवल श्रद्धा हो 41
- भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 43

इतिहास के पन्नों से ....

- तिरुपति बालाजी 39

महान विभूतियाँ

- सुभद्रा कुमारी चौहान 46

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

मेरे प्रिय सहकर्मियो,

इंड छवि के इस अंक के माध्यम से एक बार फिर मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस पत्रिका के माध्यम से कर्मचारियों में छिपी लेखन प्रतिभा अनेक लोगों तक पहुँच रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग इस पत्रिका के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। कारोबार विस्तार के लिए भी हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी उपकरण है, अतः हमें इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

इंडियन बैंक हमेशा से ही अपनी उत्तम ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। हमारा उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि है। सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ बैंक की लाभप्रदता को बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य रहा है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियाँ भी अलग हैं। हमारा लक्ष्य किसी एक विषय पर केन्द्रित न रहकर सम्पूर्ण बैंकिंग विषयों पर केन्द्रित होता है। हमें सभी वर्ग के ग्राहकों तक अपनी सेवाएँ पहुंचानी हैं, जिसके लिए हम नए-नए उत्पादों एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग पर बल दे रहे हैं। हमें ऋण गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा तथा एनपीए में निरंतर कमी लानी होगी। हमारा बैंक मध्यम आकार के बैंकों में अपना विशेष स्थान रखता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता है, धनार्जन में वृद्धि और व्ययों में कटौती करने की। बैंक ने समय-समय पर अनेक टेक आधारित उत्पादों की पेशकश की है। एक जागरूक बैंकर होने के नाते यह हम सबका दायित्व है कि हम अपनी शाखा के अधिक से अधिक ग्राहकों को 'टेक उत्पादों' के प्रयोग के लिए प्रेरित करें ताकि संचालन व्ययों में कटौती हो, शाखाओं में भीड़ कम हो, ग्राहक शिकायतों में कमी लायी जा सके और लेन – देन की प्रक्रिया तेज़ हो।

क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग से कारोबार में वृद्धि के साथ-साथ आपसी सद्भाव एवं समन्वय भी बढ़ेगा। हिन्दी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा है, इसमें काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे अहिंदी भाषी स्टाफ सदस्य हिन्दी सीखें और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ग्राहक सेवा में इसका उपयोग करें।

शुभकामनाओं सहित !

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक का संदेश

मेरे प्यारे साथियो,

'इंड छवि' पत्रिका के 16वें अंक के माध्यम से एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष बड़े हर्ष के साथ अपने विचार रख रहा हूँ। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आपका समर्थन ही इस पत्रिका के निरंतर प्रकाशन को प्रोत्साहित करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि थोड़ी सी कोशिश करने पर हम अपना दैनिक कामकाज हिन्दी में आसानी से कर सकते हैं। हिन्दी का हमारे कार्यक्षेत्र में विस्तार सीधे हमारे कारोबार में विस्तार से जुड़ा हुआ है।

हिन्दी न केवल बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा है वरन् यह अन्य भाषा समुदायों को भी जोड़ने वाली कड़ी है। हिन्दी को आठवीं अनुसूची में अन्य 21 भाषाओं के साथ रखते हुए "राजभाषा" का गौरव भी दिया गया है। यह गर्व का विषय है कि हमारे भारत में अनेक संपुष्ट भाषाओं का विकास हुआ। हम सभी भाषाओं के प्रति आदर का भाव रखते हैं। जिस प्रकार हमें भारतीय होने पर गर्व है, उसी प्रकार हमें अपनी राजभाषा में काम करने पर भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए।

हमारे बैंक ने अनेक 'टेक उत्पादों' की पेशकश की है। हमारे 'टेक उत्पाद' बहुभाषी हैं, उपभोक्ताओं के अनुकूल इंटरफ़ेस वाले हैं, जो आम जनता तक अपनी पहुँच आसानी से बना सकते हैं। हमारा सर्वप्रचलित एप्प 'इंड-पे' अब अँग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ कुल पाँच भाषाओं में उपलब्ध है। हमारी नेट बैंकिंग द्विभाषी है, हमारी वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है जिसमें विभिन्न उत्पादों की विस्तृत जानकारी द्विभाषिक रूप में दी गई है। हम सोशल मीडिया और यू-ट्यूब के माध्यम से भी अपने ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। हमारा आग्रह है कि सोशल मीडिया और यू-ट्यूब पर उपलब्ध हमारे उत्पादों से संबंधित जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया जाए, मौजूदा ग्राहकों को और त्वरित सेवाएँ प्रदान की जाएँ। टेक उत्पादों के अधिकाधिक प्रयोग से हमारी परिचालन लागत में भी कमी आएगी।

दिन – प्रतिदिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाज़ार की मंदी के बावजूद हमारे एकजुट प्रयास, नई तकनीकी का उपयोग एवं ग्राहकों के विश्वास से लाभप्रदता बनाए रखते हुए हमारे बैंक का सराहनीय निष्पादन ही इंडियन बैंक को अग्रणी बैंक बनाता है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हम सफलता की नई बुलंदियों को छुएंगे।

शुभकामनाओं सहित !

एम. के. भट्टाचार्य

एम के भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक

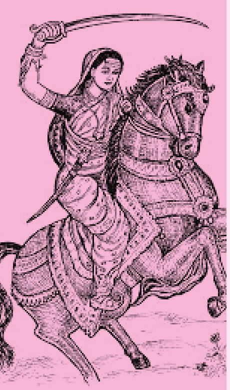

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी हिन्दी गृह पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से मुझे आप सभी से संवाद स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि किसी भी संस्था को श्रेष्ठ बनाने में उसके स्टाफ सदस्यों का अप्रतिम योगदान रहता है। आप सभी आपके अपने इंडियन बैंक को सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है।

मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई है कि हमारे स्टाफ सदस्य इस पत्रिका के लिए हमेशा अपने नए-नए लेख, रचनाएँ, कविताएं, कहानियाँ भेजते रहते हैं जिससे हिन्दी के प्रति उनका आकर्षण और मौलिक सृजन के प्रति उनकी रुचि का पता चलता है। यह पत्रिका सभी स्टाफ सदस्यों को एक दूसरे के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका के इस अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में कर्मठ महिलाएं हैं, जो विभिन्न पदों पर तैनात हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जिस तरह से पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए वे बैंक के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कर रही हैं, उसके लिए वे विशेष अभिवादन की पात्र हैं।

हम वर्तमान ग्राहक संतुष्टि प्रक्रिया तथा स्टाफ के कार्य निष्पादन में उन्नयन के अलावा ग्राहकों के लिए अपने नए 'टेक सेवी' उत्पादों के साथ विकास की ओर अग्रसर हैं। हमारा बैंक अपनी उत्तम ग्राहक सेवा और 'टेक सेवी' उत्पादों के लिए जाना जाता है।

हमें आईबी आई-फ्रीडम, आईबी–डिजी, आईबी कॉर्प एसबी आदि उत्पादों पर विशेष ध्यान देते हुए, अपने कासा(CASA) पोर्टफोलियो में वृद्धि करनी है। रैम(RAM) सैक्टर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके अपने ऋण पोर्ट फोलियो में वृद्धि करनी है और इसी प्रकार संकेन्द्रण जोखिम को घटाने के अतिरिक्त क्रास सेलिंग कर ग्राहक की बचत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। वसूली प्रक्रिया में तेजी लाकर एनपीए कम करने पर ध्यान देना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बैंक की उत्तरोत्तर वृद्धि में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे जिससे बैंकिंग जगत में बैंक की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।

शुभकामनाओं सहित !

वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक

महाप्रबंधक का संदेश

मेरे प्यारे साथियो,

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी हिन्दी गृह पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से मुझे आप सभी से संवाद स्थापित करने का पुनः अवसर मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी हिन्दी पत्रिका दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता के नए मुकाम हासिल कर रही है, जिसका एक कारण इस पत्रिका की विषय वस्तु भी है।

किसी भी संस्थान को आगे बढाने में उस संस्थान से जुड़े ग्राहकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्राहक के साथ स्थापित सम्प्रेषण का स्तर जितना श्रेष्ठ होगा, संस्थान और ग्राहक का संबंध उतना ही घनिष्ठ होगा। व्यापार की भाषा जितनी सरल और स्पष्ट होगी, उतना ही वह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगी।

हिन्दी जन-सामान्य की भाषा है और यह सीधे लोगों के ह्रदय से संबंध बनाती है। हिन्दी की व्यापकता तो देखते हुए अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में अपने उत्पादों के विपणन के लिए हिन्दी का प्रयोग धड़ल्ले से कर रही हैं। हिन्दी निःसंदेह अब व्यापार की भाषा बन चुकी है।

हमारे समाज में महिलाओं को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ भी प्रायोजित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं को गति प्रदान करने हेतु हमारा बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में, महिलाओं को बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं का लाभ पहुँचाने हेतु हमने, विशेषकर महिलाओं के लिए "आईबी सुरभि" बचत बैंक खाता की शुरुआत की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना महिला सशक्तिकरण की पहली कड़ी होनी चाहिए।

बैंक के कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसके साथ हमारे कार्मिकों का अथक प्रयास जुड़ा हुआ है। हम देश भर में अपनी शाखाओं का विस्तार कर अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय समावेशन पर बल दे रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए आवशयक है कि हम हिन्दी भाषी ग्राहकों के साथ हिन्दी में सम्प्रेषण करें, जो इस देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाती है।

आइए, हम अपने दैनिक काम-काज में सरल हिन्दी का प्रयोग कर इसे उन्नति की बुलंदियों तक पहुंचाएँ।

शुभकामनाओं सहित

परेश चन्द्र दाश
महाप्रबंधक (मासंप्र/ राभा)

मुख्य सम्पादक का संदेश

प्रिय मित्रो,

इंड छवि के माध्यम से मैं पहली बार आपसे ऐसे समय रूबरू हो रहा हूँ जब भारत सरकार आवास वित्तपोषण करने वाली कंपनियों का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक से लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक को देने पर विचार कर रही है। भारत में आवास के लिए वित्तपोषण करने वाली कुल 82 कंपनियाँ हैं जिनमें से शीर्ष 5 कंपनियाँ 90% बाज़ार को नियंत्रित करती हैं। आवास वित्तपोषण में अग्रणी आवास विकास वित्त निगम (HDFC) को छोडकर शेष सारी कंपनियाँ नकदी संकट से जूझ रही हैं। दूसरी तरफ आवास वित्तपोषण करने वाली कंपनियाँ राष्ट्रीय आवास बैंक से अधिक पुनर्वित्त की अपेक्षा कर रही हैं। उनकी माँग है कि आगामी बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाये ताकि भविष्य में नकदी संकट से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। आई एल एंड एफ़ एस (IL&FS) संकट गहराने के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक ने पुनर्वित्त की राशि रु. 24000 करोड़ से बढ़ाकर रु. 30000 करोड़ कर दी थी किन्तु आवास कंपनियाँ अब इसे अपर्याप्त मान रही हैं और इसे रु. 40000 करोड़ तक बढ़ाने की माँग कर रही हैं।

उधर भारत सरकार देश के किसानों के लिए एक नयी योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत कृषि सहकारिता क्षेत्र के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच का गठन किया जाएगा और आगामी अक्तूबर माह में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा । इस मंच की स्थापना राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (NCDC) के तहत की जाएगी जिसमें 20 राज्य सरकारें और 3 केंद्र शासित क्षेत्र शामिल होंगे । इस समय देश में कुल 800000 सहकारी संस्थाएं हैं और करीब-करीब 1.5 मिलियन अर्थात 94% किसान किसी न किसी सहकारी संस्था के सदस्य हैं।

यह जानना सुखद है कि देश के बैंकों के साथ होने वाली जालसाजी में कमी आ रही है। संसद में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुल 9866 जालसाजियाँ हुईं जिसमें कुल रु. 4225 करोड़ की राशि शामिल थी। वर्ष 2018-19 में जालसाजियाँ घटकर 6735 पर आ गईं जिसमें रु. 2836 करोड़ की राशि शामिल थी।

इंड छवि का यह अंक महिला विशेषांक है। इस अंक में महिलाओं से संबन्धित आलेख तो हैं ही साथ ही अन्य अनेक स्तंभों में भी उपयोगी और रोचक सामग्री प्रस्तुत की गयी है। यह देखना सुखद है कि हमारे स्टाफ सदस्य हिन्दी लेखन में रुचि ले रहे हैं और मौलिक आलेख हिन्दी में लिख रहे हैं।

जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और अपना दैनिक कामकाज हमें हिन्दी में करना है। हिन्दी सरल और सर्वमान्य है। इसके माध्यम से हम जनता को अपने साथ जोड़ सकते हैं । आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में जो जनता से जनता की भाषा में बात करेगा वही जनता का विश्वासपात्र बनेगा ।

मुझे विश्वास है कि इंड छवि का यह अंक आपको अवश्य पसंद आयेगा।

शुभकामनाओं सहित,

डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रन्धक (राभा)

संपादक की कलम से

प्रिय साथियो,

अंक दर अंक इस पत्रिका के माध्यम से आपसे जुड़ने का अनुभव अनूठा है। हिन्दी के सफल कार्यान्वयन की दिशा में हमारे इस प्रयास की कसौटी आपके द्वारा पत्रिका को दिया जाने वाला प्रेम ही है। आपके स्नेह और प्रोत्साहन भरे संदेश हर अंक को और भी उत्कृष्ट बनाने के लिए मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न करते हैं। मैं ह्रदय से उन सभी स्टाफ सदस्यों का आभारी हूँ जो हम सब की पत्रिका 'इंड छवि' के लिए अपने लेख एवं रचनाएँ भेजते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पत्रिका के लिए अपने लेख, कविताएं, कहानियाँ, अनुभव इत्यादि निरंतर भेजते रहेंगे।

भारत की अनेक बोलियाँ और भाषाएँ हिन्दी के विराट स्वरूप को उसी प्रकार समृद्ध करती हैं जैसे अनेकानेक नदियां विशाल सागर को। हिन्दी भारत के एक बड़े भू-भाग के विस्तृत जनसमुदाय को उनकी मातृभाषा का सा दुलार बनाए रखते हुए अनेक प्रदेशों, परम्पराओं, संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हिन्दी को अपनाकर कार्यालयीन काम-काज में उसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए राजभाषा नियम, अधिनियम व अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं जिन्हें प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना है। हिन्दी में समाहार की अद्वितीय शक्ति है और इसी शक्ति के कारण हिन्दी ने अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी बड़े स्नेह से अपनाया है।

मैं हिन्दी बड़े गर्व के साथ लिखता और बोलता हूँ क्योंकि इसका सम्मान सभी के द्वारा किया जाता है। यह हमारे देश की राजभाषा है। हिन्दी में भी आसानी से कार्यालयीन कार्य किया जा सकता है, इसके लिए अपनी मानसिकता बदलनी होगी। धीरे-धीरे हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है और इसका भविष्य उज्ज्वल है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हर अंक की भांति, यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए सुधी पाठकों के विचारों और सुझावों का स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित !

अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (राभा)

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन (financial inclusion)" एक ऐसा मार्ग है जिसमें सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करने का प्रयास करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित ना रहे तथा उसे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और ऐसा करके गरीब आदमी को बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उधार लेने की आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हीं औपचारिक माध्यमों से उधार भी ले सकता है।

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) का अभाव होना समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। जहां तक व्यक्ति का संबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में, बैंकों की सुविधा से वंचित लोग अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जहां ब्याज दरें अधिक होती हैं और प्राप्त होने वाली राशि काफी कम होती है। चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढांचा कानून की परिधि से बाहर है, अत: उधार देने वाला और उधार लेनेवालें के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का कानूनन निपटान नही किया जा सकता है।

जहां तक सामाजिक लाभों का संबंध है, वित्तीय समावेशन के फलस्वरूप उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्था की दक्षता में वृद्धि होती है, तथा नए व्यवसायिक अवसर प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है।

इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व सुलभ बैंकिंग प्रणाली के कारण अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधिकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है?

1. समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक रहित है। बिना बैंक वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल मूल लेन-देन बैंक खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने लेन-देन करने के लिए पारंपरिक उपकरण सुरक्षित किए हैं लेकिन यह डिजिटल निगमन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

2. इसने उन कम आय वाले लोगों के बीच वित्तीय अस्थिरता और गरीबी को उत्पन्न किया है जिनके पास वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की पहुँच नहीं है। जहाँ बहुत कम बैंक हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना बैंक वाले उपयोगकर्ता या तो नकदी या चेक में लेन-देन करते हैं, जो उन्हें चोरी और धोखाधड़ी के प्रति कमजोर बना देता है यही कारण है कि हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे कि कोई फ्रिल खाता या जीसीसी सुविधा प्रदान नहीं करना। यहाँ कुछ पहल की गई हैं।

बीएसबीडी (मूल बचत बैंक जमा) खाते खोलना- रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को कुछ सुविधाएँ, जैसे कि कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं, इलेक्ट्रोनिक भुगतान चैनल के माध्यम से धन की प्राप्ति या जमा, एटीएम कार्ड सुविधा, बैंक शाखाओं और एटीएम पर नगद जमा और निकासी के साथ मूल खाता खोलने की सलाह दी है।

अपने ग्राहक को जानें (केवायसी) मानदंडों पर

बजट

छूट- बैंक खाते खोलना आसान बनाने के लिए, विशेष रूप से कम शेष वाले खातों, जैसे कि 50,000 से अधिक नहीं और खातों में कुल जमा 1 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं के लिए। बैंकों को पता और पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है।

बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना-आरबीआई ने बैंकों को वर्ष भर के दौरान श्रेणी – 5 और श्रेणी – 6 केन्द्रों में खोले जाने वाली कम से कम 25 प्रतिशत शाखाओं को आवंटित करने का निर्देश दिया है।

नए बैंकों को लाइसेंस देना -

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार मॉडल, बैंक लाइसेंस देने के लिए प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में बारीकी से देखेंगे।

2020 के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण लगभग 600 मिलियन नए ग्राहकों के खाते खोलना है और आईटी पर लाभ लेने के माध्यम से उन्हें विभिन्न चैनलों के द्वारा सेवा प्रदान करना है।

अमित टिकरीया
प्रबंधक (कृषि)
अंचल कार्यालय,पुणे

बदलता बचपन

न जाने बच्चों का बचपन कहां खो गया है,
तकनीकी उपकरणों ने उन्हें कहां ले मोड़ा है।
एक वक़्त था जब मोतियों सा था बचपन
अब न जाने क्यों बटनों में सिमट गया है।
दादा – नाना के संग खेलने में बीतते थे दिन,
नानी – दादी की लोरियों से होती थी मीठी रात।
गुड्डे गुड़ियों के खेलों की अपनी कहानी,
छुपाछुपी सांकली पकड़म – पकड़ाई होती थी खेलों की रानी
बन गई है जो अब केवल भूली बिसरी कहानी।
स्मार्ट फोन बन गए हैं खेलों के राजा,
बच्चों का बचपन ही जिसने खोखला कर डाला।
गर्मी की छुट्टियाँ होती थीं जैसे खेलों का त्यौहार,
अब तो केवल लगता है आई फोन, टैब और वीडियोगेम का बाज़ार।
छुट्टियों में सोचते हैं जाएंगे हॉबी क्लास,
अब केवल चश्मा लगाए जाते हैं, कंप्यूटर क्लास।
कार्टून देखने का होता था एक अलग मज़ा
टॉम और जैरी वात है डोरेमोन के पास ?
जिन्हें पहाड़े याद करने में होती थी दिक्कत
आज दूसरों के फोन खोलते हैं झटपट।
काश लौट आए फिर वो बचपन,
वो शरारत भरे दिन, मासूमियत भरी मुस्कान।

आशिता पालीवाल
सहायक प्रबंधक
टाटीबंध शाखा, भोपाल

हिन्दी और बैंकिंग "दो पंथ एक काज"

पहले बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन धीमी गति में था वस्तुतः इससे पहले कुछ गिने-चुने बैंकों में ही राजभाषा गतिशील थी अन्यथा शेष बैंक धारा 3(3) के अनुपालन तक ही सिमटे हुये थे। पिछले कुछ सालों में विभिन्न राजभाषा विभागों द्वारा जितनी अनुवर्ती कार्रवाई की गयी उतनी पहले नहीं दिखलाई देती थी राजभाषा के इतिहास में पहली बार राजभाषा कार्यान्वयन के परंपरागत ढंग में नवीनता लायी गयी जिसे सभी बैंकों ने खुले दिल से स्वीकारा और उसका कार्यान्वयन भी किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने पर अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन ने हिंदी में आर्थिक/वित्तीय विषयों पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए "बैंकिंग पर हिंदी में उत्कृष्ट लेखन" नामक पुरस्कार योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को आर्थिक/वित्तीय/बैंकिंग विषयों पर हिंदी में लिखी गई उनकी मौलिक पुस्तकों के लिए प्रति वर्ष 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) के तीन पुरस्कार देने के प्रावधान किये गए। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बैंकों में खासा तेजी नहीं है।

हिन्दी को बैंकिंग में लाने के लिए भारत सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। बैंकिंग ढांचे में आज के परिदृश्य को देखें तो यह कदापि असंभव नहीं लगता कि हिन्दी का प्रयोग बैंकिंग में नहीं किया जा सकता है। बैंकिंग संरचना में अगर सॉफ्टवेयर को आधार सक्षम भाषा सीधे यूआईडीएआई के डाटाबेस से उठाने के लिए सक्षम कर दिया जाए तो भाषा का मस्ला ही सामाप्त हो जाएगा। क्योंकि आधार से फेच किए गए डाटा में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा और पासबुक द्विभाषी मुद्रित होने लगेंगी। लिन्गुईफाई सॉफ्टवेयर ने भी बैंकिंग को खासा प्रभावित किया है परंतु यह अब तक कुछ ही रिपोर्ट हिन्दी में दे पाता है। हिन्दी में कुछ शब्द जो इसके शब्दकोश में होते हैं उनका यह अनुवाद कर लेता है परंतु अनजान शब्दों का लिप्यंतरण कर देता है, जिससे S/O Late Pyare Lal के लिए पुत्र विलंब से प्यारे लाल जैसी स्थिति या पुत्र एलएटीई प्यारे लाल जैसी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

1991-92 में अर्थव्यवस्था के विकास के श्रीगणेश के साथ कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इस परिवर्तन के लिए एक प्रमुख घटक निजी और विदेशी बैंकों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से प्रेरित था। कई वाणिज्यिक बैंकों ने दौड़ में प्रतिस्पर्धी और सजीव बने रहने के लिए डिजिटल ग्राहक सेवाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

नई प्रौद्योगिकी अपनाकर बैंक कई तरीकों से लाभान्वित हुए हैं। ई-बैंकिंग के परिणामस्वरूप लागत में भारी कमी आई है और विभिन्न चैनलों के माध्यम से परिचालनगत आय उत्पन्न करने में मदद मिली है। पिछली उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाखा बैंकिंग पर बैंक लेनदेन की लागत 70 रुपये से 75 रुपये की सीमा में होने का अनुमान है, जबकि यह एटीएम पर 15 रुपये से 16 रुपये है, रुपये 2 या उससे कम मोबाइल बैंकिंग पर और ऑनलाइन बैंकिंग पर एक रुपया या उससे कम। 'एनी वेयर बैंकिंग' में सुविधा की वजह से ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। डिजिटलाइज़ेशन ने मानव त्रुटि को कम कर दिया है। अब किसी भी समय एक मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम सक्षम करने के लिए डेटा का उपयोग और विश्लेषण

करना संभव है।

भारतीय रिजर्व बैंक नियम बनाने, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने और बैंकों का विनियामक प्राधिकरण है। भारत में वाणिज्यिक बैंक एमआईसीआर आधारित चेक प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक शाखाओं के बीच अंतर-कनेक्टिविटी और एटीएम चैनल के कार्यान्वयन के साथ बैंक मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ गए हैं। "एनी टाइम बैंकिंग" के रूप में बैंकों में भुगतान और निपटान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मजबूत पहल की गई है।

1980 में एमआईसीआर कोड, स्टेंडर्ड चेक व एनकोडर आदि आए, तत्पश्चात 1990 में एटीएम, इलेक्ट्रौनिक निधि अंतरण, शाखा कनैक्टिविटी व कम्प्यूटरीकरण आए, सन 2000-2010 के बीच आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफ़टी, एनईसीएस, ऑनलाइन बैंकिंग व टेलीबैंकिंग आदि आए और 2011 से आज तक बायोमीट्रिक, मोबाइल बैंकिंग और चेक ट्रंकेशन आदि चल रहे हैं। इन सब में हिन्दी का समावेश किया जा सकता है।

भारत सरकार आक्रामक रूप से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। भारतीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम) का लॉन्च पेमेंट सिस्टम डोमेन में नवाचार महत्वपूर्ण कदम हैं। यूपीआई एक मोबाइल इंटरफेस है जहां लोग बैंक खाते का उल्लेख किए बिना वर्चुअल एड्रेस के आधार पर विभिन्न बैंकों के खातों के बीच त्वरित धन हस्तांतरण कर सकते हैं।

बैंक में आज भी हस्तलिखित वाउचर की परंपरा है, वाउचर का डिजिटलिकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सिस्टम जनित कागजों में हिन्दी का प्रावधान किया जा सकता है। छुट्टी आवेदन ऑनलाइन तो किया जा सकता है लेकिन हिन्दी भाषा का समर्थन कुछेक बैंक ही दे पाए हैं। धारा 3(3) तहत कार्यालय आदेश अनिवार्यतः द्विभाषी जारी होने चाहिए , आज की तारीख में कोई भी सिस्टम जनित कागजात केवल अँग्रेजी में न आए इसके लिए प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है। स्थानांतरण आदेश केवल अँग्रेजी में हो तो एक तौर पर वह अमान्य ही है। राजभाषा अधिनियम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि संघ की राजभाषा की अवहेलना की जाए।

बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी लाने के लिए सॉफ्टवेयर का एकीकृत होना ज़रूरी है। बैंक के हरेक क्षेत्र को अगर डिजिटल किया जाए तो बैंकिंग में हिन्दी का प्रयोग संभव है क्योंकि तकनीक, सम्प्रेषण और संपर्क का मुख्य साधन है और वाट्सऐप्प पर प्रचलित हिन्दी के चुट्कुले इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। गूगल ट्रांसलेट, ओला, ऐमेजोन जैसी दिग्गज कंपनियों द्वारा अपने सॉफ्टवेयर में किए गए बहुतायत बदलावों के नतीज़तन हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। बैंकिंग को व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इन कंपनियों से प्रेरित होने की आवश्यकता है।

बैंक पारंपरिक रूप से संचालित होते हैं, विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से परिचालन करते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने ग्राहकों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा जमा किया है, इस तरह के दृष्टिकोण से ग्राहक गतिविधि, जरूरतों और प्राथमिकताओं में विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं की जा सकती है, जिससे व्यक्ति के अनुरूप नए उत्पादों को विकसित किया जा

सके। जिस गति पर विनियमन और डिजिटलाइज़ेशन विकसित हो रहा है, इसका अर्थ है कि बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए काम करने का एक चुस्त, गतिशील तरीका अपनाना होगा। उन्हें ग्राहक की डिजाइन प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा और नए उत्पादों को बाजार में तेज़ी से लाना होगा।

"वास्तविक गेम चेंजर" भविष्य रियल टाइम, डेटा संचालित सेवाओं का होगा। सार्थक सूक्ष्मदृष्टि को जोड़कर, वे ग्राहकों का विभाजन कर सकते हैं और ग्राहकों से अपील करने के तरीके से अभिनव, अनुकूलित उत्पादों को वितरित कर सकते हैं। भाषा का ध्यान रखें और बहुप्रयुक्त भाषा हिन्दी का प्रयोग करें तो हिन्दी का बैंकिंग में उपयोग और विस्तार संभव हैं।

बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी का समावेश कर्मचारियों से शुरू किया जाए । कर्मचारियों से संबन्धित सभी ब्यौरे हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हों और सॉफ्टवेयर में हिन्दी फीड की सुविधा दी जाए। हिन्दी में डाटा भंडारण के लिए सॉफ्टवेयर को सक्षम बनाया जाए व हिन्दी की मशीन लर्निंग विकसित की जाए। हिन्दी के ऑन स्क्रीन शब्द सुझाव , ऑटो हिन्दी फीड की सुविधा दी जा सकती है। कर्मचारियों को हिन्दी के सॉफ्टवेयर के बारे में कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा सकता है। हिन्दी के सरल टाइपिंग सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ़्ट इंडिक लैड्ग्वेज इनपुट टूल का प्रयोग किया जाए और पारंपरिक सॉफ्टवेयरों का उपयोग रोक दिया जाए। सॉफ्टवेयर या कम्प्युटर में अद्यतन होने पर हिन्दी के संसाधनों में भी अपेक्षित बदलाव किए जाएँ। हिन्दी का प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन के ज़रिए बढ़ाना एक परम आवश्यकता है हिन्दी में सॉफ्टवेयर पर काम करने वालों को वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाए। हिन्दी में कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन में हिन्दी कार्यान्वयन के लिए कम से कम 10 % अंक रखें जा सकते हैं। हर दिन हम अंगरेजी दो-चार शब्द सीख लेते हैं परंतु हिंदी के बेहतर शब्द

इस्तेमाल नहीं करने के कारण अपनी ही भाषा के 2-4 शब्द भूलते जा रहे हैं।

- हिन्दी जगत में उपलब्ध नए अनुप्रयोग मोबाइल एप्लिकेशन
- गूगल हिन्दी इनपुट के विकल्प के रूप में ज्यादा सटीक व सरल एनड्रोइड एप्लिकेशन है "जी बोर्ड" यह विश्व की सभी प्रख्यात भाषाओं में टाइपिंग की सुविधा देता है और इसका प्रयोग एकदम सरल है। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है और यह गूगल का मूल कीबोर्ड है जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की टाइपिंग अँग्रेजी व हिन्दी में या अन्य उपलब्ध भाषाओं में की जा सकती है। इस कीबोर्ड में तुरंत अनुवाद की सुविधा भी मौजूद है साथ ही वॉइस टाइपिंग की जा सकती है।
- विंडोज 10 के नवीनतम अपडेट में हिन्दी सहित 10 भारतीय भाषाओं का फोनेटिक लिप्यंतरण की-बोर्ड का अपडेट माइक्रोसॉफ़्ट द्वारा जारी किया जा चुका है। कम्प्यूटर विभाग को चाहिए कि वे सभी विंडोज़ सिस्टम पर इस नए अपडेट को इन्स्टाल किया जाए। सभी सिस्टम पर इस अपडेट के आ जाने से किसी भी बाहरी सॉफ्टवेयर को सिस्टम में स्थापित किए जाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

"किसी भी भाषा का प्रयोग बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अपने विचार सफलतापूर्वक एवं सरल रूप में रखे जा सकें। भाषा में

यह सरलता काफी सीमा तक शब्दों के मानक रूप (स्टैन्डडाइज़ेशन) से आती है। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए 'बैंकिंग शब्दावली' तैयार कर, समय-समय पर उसे अपडेट कर एवं उसे वेबसाइट पर अपलोड कर सभी को उपलब्ध कराकर बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी भाषा को मानक रूप देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इससे बैंकिंग का कामकाज हिंदी में करना एवं उसे समझना काफी आसान हो गया है। यूनिकोड ने कंप्यूटरों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को आसान कर दिया है। इससे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी मदद मिली है। आज अधिकांश कार्य कंप्यूटरों एवं एप्लीकेशन पैकेजों के माध्यम से होने लगे हैं और अब समय आ गया है कि इनमें हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, विशेषकर उन पैकेजों में जिनका सीधा संबंध ग्राहक सेवा से है। इससे वित्तीय समावेशन के कार्य में और तेजी आएगी। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें यह प्रयास करना होगा कि ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए हम जिन माध्यमों का सहारा लें उनमें उस भाषा को स्थान मिले जो ग्राहक को आसानी से समझ में आ सके"

\- रघुराम सी राजन

हिन्दी भाषा को बैंकिंग में कार्यान्वित किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का भी योगदान अतुलनीय है। यह नियामक बैंक होने के साथ-साथ एक पथप्रदर्शक के रूप में बैंकिंग में हिन्दी को लाने के लिए सबसे आगे है। बैंकिंग में हिन्दी केवल आत्मानुभूति से लाई जा सकती है इसके लिए सभी को एकजुट प्रयास करने होंगे। अगले लेख में इस तरह के कुछ नए उपकरणों के साथ एक नई जानकारी देने का प्रयास करूंगा

बलबीर सिंह
प्रबन्धक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, कानपुर

गज़ल

जब से बहारों ने हमसे रूठकर जाना सीख लिया है,
तब से हमने भी पतझड़ों में मुस्कुराना सीख लिया है।

पहले तो चलते थे उन राहों पर जहाँ उजाले होते थे,
अब अँधेरे रास्तों पर भी हमने जाना सीख लिया है।

छलक पड़ते थे जिन आँखों से आँसू छोटी-सी बातों पर,
उन्हीं आँखों ने अब आँखों में आँसू सुखाना सीख लिया है।

जब चीख-चीखकर सच कहा पर न सुनी दुनिया ने,
तो इस दिल ने भी मन में सच छुपाना सीख लिया है।

और ऐसी कितनी ही बातें हालात इंसान को बता जाता है,
है वक्त वो उस्तादो सूरज! सबकुछ सीखा जाता है।

सूरज प्रसाद साव
प्रबंधक (राभा)
अंचल कार्यालय
कोलकाता

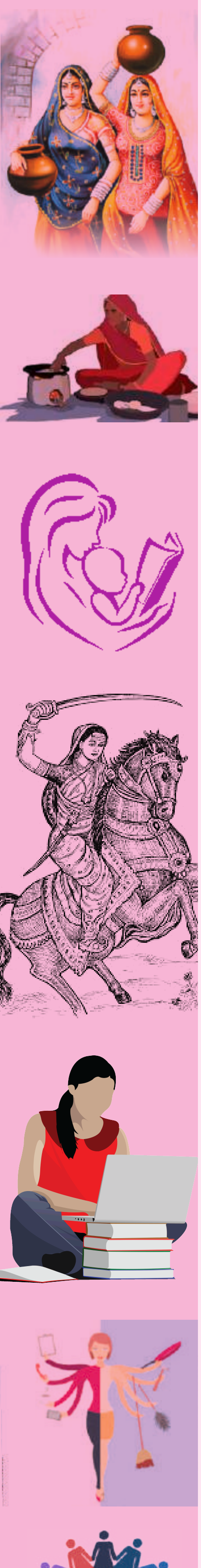

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इमोशनल इन्टेलिजेन्स) कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। इसके विपरीत बौद्धिक गुणक या बुद्धिलब्धि (Intelligence quotient) कई अलग-अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बुद्धिलब्धि की तुलना-

- एक अच्छी बौद्धिक गुणक या बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन उसे अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए भावनात्मक समझ का होना भी ज़रूरी है। अच्छी भावनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नही उठाता है।
- बौद्धिक गुणक या बुद्धिलब्धि व्यक्ति को सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाता है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को जीवन की परीक्षा में सफलता दिलाती है। जिनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, वे बदलते पर्यावरण के साथ जल्दी व्यवस्थित हो जाते हैं और इसलिये उनकी सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सिर्फ तथ्य नहीं देखते बल्कि उसके साथ भावनाओं से भी काम लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि हर कोई अलग है इसलिये उस अंतर को ध्यान में रखते हुए वे सबसे एक सा व्यवहार नहीं करते। वे अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं का भी कद्र करते हैं। ऐसे लोग संचार-कौशल में अच्छे होते हैं और अच्छे अधिकारी बन सकते हैं।

संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि (इमोशनल इंटेलिजेन्स) स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं के बीच भेदभाव एवं मतभेद और उनमें उचित सामंजस्य स्थापित करना, सोच और व्यवहार रूपी मार्गदर्शन हेतु भावनात्मक संवेगों के उचित प्रयोग को संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि (इमोशनल इन्टेलिजेन्स) कहते हैं।

अपनी भावनाओं, संवेगों को समझना उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ है। व्यक्ति अपनी 'भावनात्मक समझ ' का उपयोग कर सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह से संवाद कर सकता है और ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकता है। संवेग वस्तुतः एक ऐसी प्रकिया है जिसे व्यक्ति उद्दीपक द्वारा अनुभव करता है।

भावना और भावना के परिणामों के बीच संबंधित अंतर भावनात्मक अभिव्यक्ति है। अपनी भावनात्मक स्थिति के परिणामस्वरूप अक्सर लोग कई तरह की अभिव्यक्तियां करते हैं, जैसे रोना, लड़ना या घृणा करना। स्नायुविज्ञान (न्यूरोसाइंटिफिक) शोध से पता चलता है कि एक "मैजिक क्वार्टर सेकेंड" होता है, जिसके दौरान भावनात्मक प्रतिक्रिया बनने से पहले विचारों को जाना- समझा जा सकता है। यह वही पल होता है जब व्यक्ति भावना को नियंत्रित कर सकता है।

रॉबर्ट प्लुत्चिक ने एक त्रिआयामी "सर्कम्प्लेक्स मॉडल" प्रस्तावित किया है जो भावनाओं के बीच आपसी संबंधों को दर्शाता है। यह मॉडल एक रंगीन चक्र (व्हील) के समान है। लम्बवत माप तीव्रता को दर्शाते हैं और सर्कल (गोला) भावनाओं के बीच समानता की डिग्री बताता है। उन्होनें आठ प्राथमिक भावनाओं को चार विपरीत भावनाओं के जोड़े में

व्यवस्थित किया।

विशिष्ट भावनाओं का एक अन्य अर्थ उनके होने वाले समय से संबंधित है। कुछ भावनाएं कुछ सेकेंड की होती हैं जैसे आश्चर्य, जबकि कुछ कई सालों तक रह सकती हैं जैसे प्रेम। बाद वाली भावना को एक लम्बी अवधि की प्रवृत्ति के रूप में माना जा सकता है जिसमें एक उचित भावना की बजाय केवल किसी के प्रति लगाव की भावना है। भावनात्मक घटनाओं और भावनात्मक स्वभावों के बीच अंतर है। स्वभाव चरित्र के लक्षणों के आधार पर भी तुलना योग्य है, जिसमें सामान्यतः विभिन्न वस्तुओं के लिए, विशेष भावनाओं के अनुभव के अनुसार, किसी का स्वभाव बदलता है। उदाहरण के लिए, एक चिड़चिड़ा व्यक्ति आम तौर पर दूसरों की बजाय जल्दी अथवा तेज़ी से चिढ़ जाता है।

भावनाओं से संबंधित सिद्धांत प्राचीन यूनान के समय के विचारों के साथ प्लेटो और अरस्तू के समय में ले जाते हैं। भावनाओं के दैहिक सिद्धांत के अनुसार, शरीर भावनाओं के प्रति आवश्यक निर्णयों की बजाय सीधे प्रतिक्रिया करता है। इस तरह के सिद्धांतों का पहला आधुनिक संस्करण 1880 में विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया। 20 वीं सदी में इस सिद्धांत ने समर्थन खो दिया, लेकिन हाल ही में जॉन कचिओप्पो, एंटोनियो दमासियो, जोसेफ ई. लीदु और रॉबर्ट ई. ज़ेजोंक जैसे शोधकर्ताओं के न्यूरोलॉजिकल (कोशिकाविज्ञानी) प्रमाणों के फलस्वरूप, इसने फिर से लोकप्रियता हासिल कर ली है।

विलियम जेम्स ने एक लेख 'व्हॉट इज़ एन इमोशन?' के द्वारा यह तर्क दिया कि ज्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। लगभग इसी समय डैनिश मनोवैज्ञानिक कार्ल लैंग ने भी मिलता जुलता सिद्धांत पेश किया, इसलिए इसे जेम्स-लैंग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत और इसके तथ्यों के अनुसार, परिस्थिति के बदलने से शारीरिक बदलाव होता है। इस सिद्धांत को प्रयोगों द्वारा साबित किया गया है, जिसमें शरीर की स्थितियों में बदलाव ला कर वांछित भावना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के प्रयोगों को चिकित्सा में भी प्रयुक्त किया गया है (जैसे लॉफ्टर थेरेपी, डांस थेरेपी)।

मस्तिष्क संरचना की तंत्रिकाओं की मैपिंग से मिली जानकारी से, मानव भावनाओं की न्यूरोबायोलॉजिकल व्याख्या यह है कि भावना एक प्रिय या अप्रिय स्थिति है जो स्तनधारी प्राणियों के मस्तिष्क में पैदा होती है। जिनमें न्यूरोकैमिकल (उदाहरण के लिए डोपामाइन, नोराड्रेनेलिन और सेरोटोनिन) में मस्तिष्क की गतिविधि के स्तर के अनुसार उतार-चढ़ाव आता है, जो कि शरीर के हिलने डुलने, मनोभावों तथा मुद्राओं में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, प्यार की भावना को स्तनधारी के मस्तिष्क के पेलियोसर्किट की अभिव्यक्ति माना जाता है (विशेष रूप से सिंगुलेट जाइरस मॉड्यूल की), जिससे देखभाल, भोजन कराने और सोंदर्य जैसी भावनाओं का बोध होता है।

कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो तर्क देते हैं कि, संज्ञानात्मक क्रिया - एक निर्णय, मूल्यांकन या विचार - किसी भावना को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। रिचर्ड लॉरस के अनुसार यह इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि भावना किसी चीज़ के बारे में या जानबूझ कर पैदा होती है। इस प्रकार की संज्ञानात्मक क्रिया चेतन या अवचेतन हो सकती हैं तथा वैचारिक प्रक्रिया का रूप ले भी सकती है या नहीं भी ले सकती है।

रिचर्ड लॉरस के अनुसार, संज्ञानात्मक मूल्यांकन

के दौरान व्यक्ति उस घटना का तर्कपूर्ण आकलन करता है जो भावना को इंगित करती है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जैविक बदलाव होते हैं, जैसे, दिल की धड़कन का बढ़ना या पिट्यूटरी एड्रिनिल की प्रतिक्रिया तथा व्यक्ति भावना को अनुभव करता है । उदाहरण के लिए: सीमा एक सांप को देखती है, जिसके कारण उसे डर लगता है , उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, एड्रिलिन का रक्त में प्रवाह तेज़ हो जाता है। सीमा चिल्लाती है और भाग जाती है। लॉरस ज़ोर देकर कहते हैं कि भावनाओं की गुणवत्ता और तीव्रता को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं बचाव की रणनीति बनाती हैं जो व्यक्ति और उसके वातावरण के बदलाव के अनुसार भावनात्मक प्रतिक्रिया बनती है।

भावनाओं के दैहिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक नया संकर सिद्धांत अवधारणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस तर्क में अलग है कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं, भावनाओं पर केन्द्रित हैं, तथापि ये भावनाओं की सार्थकता पर ज़ोर देती है या इस विचार पर, कि भावनाएं किसी चीज़ के बारे में है जैसा कि संज्ञानात्मक सिद्धांतों द्वारा पाया गया है। इस सिद्धांत का नया दावा है कि इस प्रकार के अर्थ के लिए कल्पना पर आधारित संज्ञानात्मकता अनावश्यक है। बल्कि शारीरिक परिवर्तन खुद को परिस्थितियों के किसी कारणवश क्रिया में बदलने के कारण भावनाओं की सार्थक सामग्री के हिसाब से ढाल लेते हैं। इस संबंध में, भावनाएं मन की शक्ति के अनुरूप होती हैं, जैसी दृष्टि या स्पर्श, जो विभिन्न तरीकों से हमें वस्तु तथा दुनिया के बीच में संबंध के बारे में सूचना प्रदान करती है।

इस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इमोशनल इंटेलिजेंस) आपकी अपनी भावनाओं तक पहुँचने की वह क्षमता है, जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपनी भावनाओं को निकट रख आप अपने मानसिक तनावों को नियंत्रण में रख सकते हैं और लोगों के साथ प्रभावशाली संबंध बना सकते हैं । अध्ययनों एवं शोधों के आधार पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समय के साथ विकसित और पैना किया जा सकता है । अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के तरीकों को जानने और उसे शीघ्र बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है :-

- **अपनी भावनाओं में झांक कर देखिए :** आप के लिए, जो कुछ भी दिन भर में होता है, उसके कारण उत्पन्न हुई भावनाओं को किनारे रख पाना सरल कार्य होता है। मगर समय निकाल कर अपने अनुभवों से उत्पन्न भावनाओं को स्वीकार करना, आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है । यदि आप अपनी भावनाओं की उपेक्षा करते हैं तो आप वास्तव में उस सूचना की उपेक्षा कर रहे होते हैं, जिसका अत्याधिक प्रभाव आपके मनोभावों पर और आपके व्यवहार पर पड़ता है। जैसे कि, मान लीजिये कि आप अपने काम पर हैं और आपकी बातों को एक मीटिंग में ठुकरा दिया जाता है। जब यह होता है, तब क्या भावनाएँ उत्पन्न होती हैं? दूसरी ओर, जब अच्छे काम के लिए आपकी प्रशंसा होती है तब आपको कैसा लगता है? अपनी भावनाओं को नामित करने के अभ्यास से, जैसे कि दुख, परेशानी, प्रसन्नता, संतुष्टि या कोई भी अन्य, आपकी भावनात्मक बुद्धि तुरंत ही विकसित होना शुरू हो जाएगी । दिन के किसी भी निश्चित समय पर अपनी भावनाओं को झांक कर देखने की आदत डाल लीजिये। जागते ही आपकी प्रथम भावनाएँ क्या होती हैं? और सोने जाने से पहले, अंतिम?
- **अपने शरीर पर ध्यान दीजिये :** अपनी भावनाओं के भौतिक लक्षणों की उपेक्षा करने के स्थान पर, उन पर ध्यान देना प्रारंभ करिए । हमारा शरीर और विचार अलग अलग नहीं हैं; वे एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं । अपनी भावनाओं के शारीरिक संकेतों को समझ पाने से आप अपना

इमोशनल इन्टेलिजेन्स बढ़ा सकते हैं।

- **देखिये कि आपकी भावनाएँ और व्यवहार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। जब आपकी भावनाएँ ज़ोर मारती हैं, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है?** यूं ही बिना सोचे, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने के स्थान पर, अपनी दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों की घटनाओं के संबंध में, अपनी प्रतिक्रियाओं को ज़रा ध्यान से देखिये । जितना अधिक आप अपने प्रत्युत्पन्न व्यवहार को समझ पाएंगे, उतना ही अधिक आपका इमोशनल इन्टेलिजेन्स विकसित होगा।

- **अपनी भावनाओं का स्वतः आकलन मत करिए :** आपकी सभी भावनाएँ सही हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक भावनाएँ भी। यदि आप अपनी भावनाओं का आकलन करेंगे, तब आप अपनी महसूस कर पाने की क्षमता को अवरुद्ध कर बैठेंगे, और तब भावनाओं के सकारात्मक उपयोग को और भी कठिन बना देंगे। इसको ऐसे सोचिए कि आपकी प्रत्येक भावना आपके विश्व में होने वाली किसी न किसी चीज़ से सम्बद्ध नई जानकारी होती है। इस जानकारी के बिना, आप को पता ही नहीं चलेगा कि कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसीलिए, भावना होने की क्षमता, एक प्रकार की इंटेलिजेंस होती है।

- **आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसका अभ्यास करिए:** आपकी भावनाएँ क्या होंगी इस पर तो आपका नियंत्रण नहीं होता है, मगर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह आप निर्धारित कर सकते हैं। यदि आप आदतन क्रोध में फट पड़ते हों या ठेस लगने पर स्वयं को सबसे अलग थलग कर लेते हों, तब सोचिए कि आप इसके अलावा और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। स्वयं को भावनाओं के बोझ से दबा डालने के स्थान पर, यह तय करिए कि अगली बार जब भावनाओं का ज्वार उठेगा, तब आप कैसा व्यवहार करेंगे। जब आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटित होता है, तब कुछ क्षण ठहर कर अपनी भावनाओं का जाएज़ा लीजिये। कुछ लोग कहते हैं कि अभी उनके ऊपर से दुख की या क्रोध की एक लहर गुज़र कर गई है। जब एक बार वह लहर गुज़र जाती है, तब यह निर्णय लीजिये कि आप कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के स्थान पर उनको प्रदर्शित कर दीजिये या हार मान लेने के स्थान पर फिर से प्रयास शुरू करिए।

- **अपने समानुभूति कौशल की अभिवृद्धि करिए:** समानुभूति का अर्थ है, यह समझ पाना कि दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को उनके साथ बांटना। सक्रिय श्रोता होने से और लोगों की बात ध्यान से सुनने से आपको उनकी भावनाओं को समझने में सहायता मिलेगी। जब आप उस सूचना का इस्तेमाल अपने निर्णयों को और सम्बन्धों को सुधारने में करते हैं, तब यह इमोशनल इंटेलिजेंस का लक्षण होता है।

- **लोगों के हाव भावों का अध्ययन करिए:** लोगों के चेहरे को पढ़ कर तथा उनके अन्य हाव भावों को देख कर उनकी बात के छुपे हुये मतलब निकालने को और उनकी वास्तविक भावनाओं को जान लेने को, महत्व दीजिये। अक्सर, लोग जो कहते हैं, उनके चेहरे को देखने से पता चल जाता है कि उसका अर्थ वही नहीं है। प्रयास करिए कि आप की

पर्यवेक्षण की क्षमताएँ बढ़ें और लोगों के भावों के सम्प्रेषण के छिपे तरीकों को भी आप पहचान सकें।

- **भावनात्मक रूप से ईमानदार रहने का अभ्यास करिए:** यदि आप कहते तो हैं कि आप ठीक हैं, मगर आपके त्यौरिया चढ़ी होती हैं, तब तो आप ईमानदारी से सम्प्रेषण नहीं कर रहे हैं। अपनी भावनाओं के खुले प्रदर्शन का अभ्यास करिए, ताकि लोग आपको अच्छी तरह से समझ सकें। जब आप परेशान हों, तब लोगों को बताइये, और साथ ही अपनी खुशी और प्रसन्नता भी उनके साथ बाँटिए।
- **देखिये कि कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है:** जीवन में मानसिक रूप से सक्षम होना महत्वपूर्ण है, मगर भावनात्मक रूप से चतुर होना भी उतना ही आवश्यक है। आपके अंदर उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस होने से आपसी संबंध बेहतर हो सकते हैं और कार्य के अवसर भी अच्छे मिल सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के निम्नलिखित चार मूल तत्व हैं, जो जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनका ध्यान रखते हुये हम यह जान सकते हैं कि कहाँ सुधार की संभावनाएँ हैं:
- **स्वयं के संबंध में जागरूकता:** स्वयं के संबंध में जागरूकता का अर्थ है अपनी मजबूती और अपनी सीमाओं की जानकारी होना। अपनी भावनाओं को, जैसी भी हैं, पहचान पाना और उनके मूल कारणों को समझ पाना, स्वयं के संबंध में हमारी जागरूकता को दर्शाती है।
- **आत्म प्रबंधन:** आत्म प्रबंधन का अर्थ है परिवर्तन का सामना कर पाना और फिर उसके लिए प्रतिबद्धता। आत्म संतुष्टि को विलंबित करने की क्षमता, अपनी आवश्यकताओं को दूसरों के साथ संतुलित करना, और स्वयं के प्रयास से आवेग पर नियंत्रण कर पाना ही आत्म प्रबंधन है।
- **सामाजिक चेतना:** सामाजिक रूप से सचेत होने का अर्थ है कि किसी भी समूह में अथवा व्यवस्थापन के संदर्भ में सत्ता की गतिशीलता को समझ पाना। दूसरों के मनोभावों और चिंताओं से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, तथा साथ ही सामाजिक संकेतों को समझ कर उनके अनुसार अपने को ढाल लेने कि क्षमता ही सामाजिक चेतना कहलाती है।
- **संबंध प्रबंधन:** लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाना, संघर्ष प्रबंधन, लोगों को प्रेरित एवं प्रभावित करना और स्पष्ट सम्प्रेषण, संबंध प्रबंधन के मुख्य पहलू हैं।
- **घर पर और दफ्तर में प्रसन्न-चित्त रहिए:** जब आप आशावादी होते हैं, तब जीवन में, और दिन प्रतिदिन की वस्तुओं में सौन्दर्य देख पाना और उस भावना को दूसरों से अभिव्यक्त कर पाना सरल होता है। नकारात्मकता, लोगों को लचीलेपन के स्थान पर, क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है, इस पर ही ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित करती है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहना गलत न होगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम सभी में व्याप्त वह क्षमता है जो भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने और उन्हें विकसित करने में सहायक है, उनसे व्यक्ति को लाभकारी प्रेरणा मिलती है। लोगों के दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कई अनुप्रयोग हैं, निस्संदेह उनका प्रशिक्षण कई स्थितियों में बहुत फायदेमंद हो सकता है, जो हमें उन सभी प्रकार की समस्याओं के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जिनका हमें लगातार सामना करना पड़ता है। किसी भी मनुष्य के अंदर व्याप्त उसकी उच्च भावनात्मक बुद्धि ही होती है जो नकारात्मक भावनाओं के हानिकारक प्रभाव को समझने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होती है, साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।

चन्दन कुमार शर्मा
सहायक प्रबन्धक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

भारतीय समाज और महिलायें

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

"जिस देश या समाज में स्त्रियों की पूजा होती है देवताओं का निवास वहीं होता है।"

जिस समाज के आदि साहित्य की परिकल्पना स्त्रियों की पूजा से शुरू होती हो उस समाज में स्त्रियों की महत्ता को बखूबी समझा जा सकता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे हमेशा से समाज के केंद्र में रही हैं। जिस देश समाज में प्रथम तीन स्थान की अधिष्ठात्री देवियाँ हों अर्थात शक्ति की देवी पार्वती हों, धन की देवी लक्ष्मी हों और विद्या की देवी सरस्वती हों उस देश में पुरुषों के हाथ क्या बचता है आप खुद समझ सकते हैं।

वैदिक काल में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त था। उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। पतंजलि और कात्यायन ने भी अपने ग्रन्थों में लिखा है कि वैदिक काल की महिलाएं शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय थीं। ऋग्वेद और उपनिषद में भी गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र और हरिता के अनुसार महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति थी। ऋग्वेद के अनुसार महिलाएं अपनी मर्जी से अपनी पसंद के पुरुष से शादी कर सकती थीं जिसे स्वयंवर के नाम से जाना जाता था। उस दौरान गंधर्व विवाह का भी प्रचलन था जिसे आज हम लिव-इन-रिलेशन के नाम से जानते हैं। पुराणों में प्रत्येक भगवान को उनकी पत्नियों के साथ दिखाया जाता था जैसे ब्रह्मा को सरस्वती के साथ, विष्णु को लक्ष्मी के साथ और शिव को पार्वती के साथ। होम या यज्ञ कराते समय आज भी "स्वाहा" कि ध्वनि उच्चरित की जाती है। अग्नि की पत्नी स्वाहा है। भागवत पुराण के अनुसार अग्नि देव से किसी भी प्रकार की याचना उनकी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही की जा सकती है। इसका उल्लेख महाभारत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आया है। उस दौर में देवताओं की ही तरह देवियों के भी मंदिर बनवाए गए और उसी श्रद्धा एवं भक्ति से देवियों की पूजा की जाती रही जिस श्रद्धा एवं भक्ति से देवताओं की पूजा की जाती थी। इससे यह साबित होता है कि उस वक्त के समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान स्थान प्राप्त था और यह स्थिति ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक बनी रही।

ईसा पूर्व की 5 वीं और 6 वीं शताब्दी में वत्स महाजनपद का राजकुमार अवयस्क था। उनकी माँ महारानी मृगावती ने उस समय बड़ी कुशलता से महाजनपद का शासन किया जिसकी सराहना उनके अनुभवी मंत्रियों ने की थी। ईसा पूर्व की 4 थीं शताब्दी में अपास्तम्भा सूत्र के अनुसार पति अपनी पत्नी को किसी कार्य के लिए रोक नहीं सकता था। उस दौरान पत्नियाँ संपत्ति की वारिश होतीं थीं और अपने विवेक के अनुसार वह संपत्ति के बारे में निर्णय ले सकतीं थीं।

गुप्त काल में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी लेती थीं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम अपनी पत्नी रानी कुमार देवी के साथ शासन करते थे। वाकाटक वंश के सम्राट रुद्रासेन द्वितीय की पत्नी रानी प्रभावती दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा लेती थी। इसी तरह कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी शासन में महिलाओं की भागीदारी के उदाहरण मिलते हैं। गुप्त कल के दौरान लिखे गये अमरकोष में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सह-शिक्षण की संस्थाएं स्थापित कि गयी और उसमें पुरुष और महिला शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में रानी नाथनिका ने सातवाहन साम्राज्य के सेनापति का दायित्व संभाला और दक्षिण में राज किया। 9 वीं शताब्दी के अंत में उड़ीसा की रानी ने उस समय शासन की बागडोर संभाली जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गयी। इन्होंने कई लड़ाइयों में अपनी सेना का नेतृत्व किया। 12 वीं शताब्दी में मेवाड़ की कुरमादेवी ने भी कई लड़ाइयों में अपनी सेना की अगुवाई की। सन 1263 में काकतीय वंश की रुद्रम्मा देवी ने दक्षिण के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया।

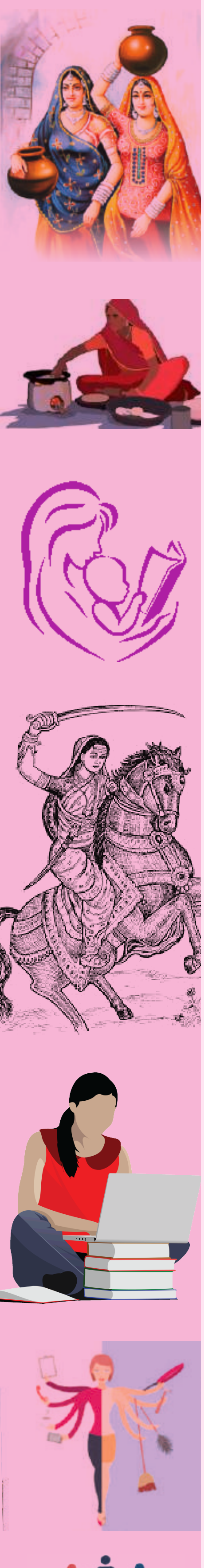

मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान कर्नाटक में महादेवी और उत्तर में मीराबाई ने समाज सुधार विशेषकर महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने का स्तुत्य कार्य किया।

भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के बाद से ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गयी । इसी दौरान सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह की शुरुवात हुई और महिलाओं में अशिक्षा तथा गैर-बराबरी बढ़ने लगी। बादशाह अकबर ने नियम बना दिया कि महिलाएं यदि बिना पर्दा के घूमते पाई गईं तो उन्हें वेश्या बना दिया जाएगा । उसने फरमान जारी किया कि महिलाएं परदे के अंदर रहें, घर में रहें और यदि कहीं की यात्रा करनी पड़े तो पुरुषों के संरक्षण में करें। इन सबका महिलाओं की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया।

इसी दौरान दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हुई जिन्होंने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। रज़िया सुल्तान (1205-1240) इकलौती महिला थीं जिन्होंने दिल्ली के तख्त से शासन किया। गोंड वंश की रानी दुर्गावती (1524-1564) अकबर के सेनापति आसिफखान से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुईं । 1590 में अहमद नगर में चांदबीबी ने अकबर की फौज से लोहा लिया। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहाँ मुगल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली मानी जाती थीं और सारे प्रशासनिक निर्णय उनकी सहमति से लिए जाते थे। मुगल शहजादियाँ जहांआरा और जेबुन्निसा उच्च कोटि की कवियित्री थीं और दिन प्रतिदिन के प्रशासन में अपनी दखल रखतीं थीं। रानी केवाडी चेल्लम्मा बीजापुर सल्तनत और मुगल बादशाह से आजीवन लड़ती रहीं। 1824 में कित्टुर की रानी कित्टुर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश फौज के दाँत खट्टे कर दिये थे।झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हजरत महल की बहादुरी के कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है।

ब्रिटिश राज में ऐसे कई समाज सुधारक हुये जिन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने में बड़ा काम किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले ने महिलाओं में शिक्षा प्रसार के लिए आंदोलन चलाये। इसी दौरान 1829 में सती प्रथा उन्मूलन और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए गए। 1917 में प्रथम महिला डेलीगेशन शासन सचिव से मिला और महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की बात की। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया और शादी के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी।

संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने भी महिलाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती। भारतीय संविधान में धारा 14 समानता, धारा 15(1) भेदभाव, धारा 16 समान अवसर, धारा 39 (डी) और धारा 42 समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अन्य अनेक और धाराएँ हैं जो महिलाओं के हक को सुरक्षित करती हैं।

आधुनिक भारत में महिलाएं शिक्षा, खेल, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति में तथा सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रही हैं। आटो रिक्शा चलाने से लेकर विमान उड़ा रही हैं। खेतों में फावड़ा चलाने से लेकर युद्ध क्षेत्र में बहादुरी दिखा रही हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर तारों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की दूरी को नाप रही हैं। आज सामाजिक जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी दमदार उपस्थिति न दर्शा रही हों।

बैंकिंग क्षेत्र में इंडियन बैंक महिलाओं की स्थिति को लेकर हमेशा से सजग रहा है। बैंक में जमा और ऋण उत्पादों की एक लंबी सूची है जिसमें से महिलाएं अपने पसंद का उत्पाद चुन सकती हैं। जहां महिलाएं जमा और ऋण उत्पादों में से अपनी आवश्यकतानुसार उत्पाद चुनने के लिए स्वतंत्र हैं वहीं बैंक ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष उत्पाद भी ईजाद किए हैं जिसमें से कुछ निम्नानुसार हैं –

ग्रामीण महिला सौभाग्य योजना

जो महिलाएं मिक्सी, गैस-स्टोव, टेलीविज़न, 50 सी सी या उससे कम का स्कूटर / दो-पहिया वाहन अथवा घर के लिए अन्य उपयोगी वस्तुएँ खरीदना चाहती हैं वे ऋण के लिए बैंक से संपर्क कर सकती हैं। कृषि कार्य या कृषि से सहायक कार्यों में लिप्त 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वाली विवाहित ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं बशर्ते की उनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय रु. 2500/- न्यूनतम हो । इस योजना के तहत भूमि धारिता के आधार पर न्यूनतम रु. 5000/- से लेकर अधिकतम रु.15000/- तक का ऋण लिया जा सकता है। इसमें परियोजना लागत का 5% मार्जिन है और अवकाश अवधि के बिना इसे 12 महीनों की किस्त में वापस किया जा सकता है। ऋण राशि से खरीदी गई वस्तु को दृष्टिबंधक रखना होगा और पति या पत्नी अथवा महिला के पारिवारिक सदस्य जो भूस्वामी हो, को गारंटी देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना बहुत लोकप्रिय है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए यह जीवनदायिनी का कार्य कर रही है । इससे परिवार की महिलाओं का परिवार में महत्व बढ़ा है।

बैंक से संबद्ध स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

हमारे देश में 250 जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्रेणी - I के तहत चुना गया है। इन सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 250 जिलों में कार्यरत ये सभी महिला स्वयं सहायता समूह रु. 3 लाख के ऋण पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान के पात्र होंगे । ब्याज का यह अनुदान सावधि ऋणों और नकद ऋणों दोनों के लिए उपलब्ध होगा। इंडियन बैंक इस योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी है।

गृहलक्ष्मी योजना (महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु आवास ऋण)

इंडियन बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक विशेष योजना शुरू किया है जिसके तहत समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को रु. एक लाख तक विशेष ब्याज दर से आवास ऋण प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बैंक महिलाओं को दिये जाने वाले अनेक ऋणों पर ब्याज में छूट दे रहा है जैसे आई बी ए योजना के तहत शैक्षणिक ऋण जिस पर ऋण गारंटी उपलब्ध नहीं है, में छात्राओं को 0.50% छूट और आई बी माइक्रो ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 0.50 % की छूट।

इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वैदिक कल से ही महत्वपूर्ण रही है। समाज के प्रत्येक कार्य में चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो अथवा राजनीतिक हो, उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गयी। कई अवसरों पर उनकी राय को निर्णायक माना गया । उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुये आधुनिक नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाते हुये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना दखल मजबूती से बढ़ा रही है। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा भी आया जब अन्यान्य कारणों से महिलाओं को परदे से पीछे जाना पड़ा किन्तु उनकी जोरदार वापसी ने हमारे समाज के संतुलन को पटरी से उतरने नहीं दिया। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर पथप्रदर्शक की भूमिका में आ जाएंगी जैसा की कई क्षेत्रों में हम आज देख रहे हैं।

डॉ. बीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

भोपाल में "राजभाषा हिन्दी का सरलीकरण" विषय पर दिनांक 22.02.2019 को आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार पर रिपोर्ट

इंडियन बैंक द्वारा 22 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय हिंदी सेमिनार का आयोजन भोपाल स्थित होटल कोर्टयार्ड मैरियट में किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै ने की। इस अवसर पर, श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, श्री विनायक वी. टेम्भुर्ने, अंचल प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, भोपाल अंचल, श्री संजय लाडे, उप महाप्रबंधक / अंचल प्रबन्धक, इंडियन बैंक, भोपाल अंचल, विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण और विभिन्न बैंकों तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों के राजभाषा विभाग के प्रमुख एवं नराकास, भोपाल के सदस्य-सचिव की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम से पूर्व, पुलवामा हमले के शहीदों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात, मंचासीन अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित किया। शुरुआत में, श्री संजय लाडे, उप महाप्रबंधक / अंचल प्रबन्धक, इंडियन बैंक, भोपाल अंचल ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सभी का स्वागत किया और सबकी शानदार उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया।

श्री विनायक वी. टेम्भुर्ने, अंचल प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, भोपाल अंचल ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में, उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए इंडियन बैंक को बधाई दी और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इंडियन बैंक द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा भारत में अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, उन्होंने भाषा को सरल और आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की क्षमता है। उन्होंने इंडियन बैंक द्वारा प्रकाशित 'संवाद चालीसा' पुस्तिका और 'हिंदी वायरो डेस्क कैलेंडर 2019' की विशेष रूप से सराहना की।

श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा), इंडियन बैंक ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी के सरलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरल भाषा में व्यापार करके हम अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को हिंदी में समाहित किया जाना चाहिए ताकि राजभाषा को सरल बनाया जा सके। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ग्राहक हैं, कुछ पढ़े-लिखे हैं, कुछ कम पढ़े-लिखे हैं और कुछ ग्राहक अनपढ़ भी हैं। हमें सभी को बैंकिंग सेवाएं देनी होती है। इसलिए, बैंकिंग भाषा को आम आदमी के लिए स्वीकार्य बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैंक 'प्रेरणा और प्रोत्साहन' द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहता है।

श्री अजयकुमार, मुख्य प्रबंधक (राभा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै, ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इंडियन बैंक द्वारा किए गए प्रयासों और उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सभी ने सराहा।

श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सेमिनार में भाग लिया एवं सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में, उन्होंने इंडियन बैंक को उपरोक्त विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह वर्तमान समय के बैंकिंग के लिए प्रासंगिक है। राजभाषा के सरलीकरण पर ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने कहा कि साहित्यिक हिंदी में काम करना मुश्किल है, आम आदमी तक पहुंचने के लिए, हमें सरल

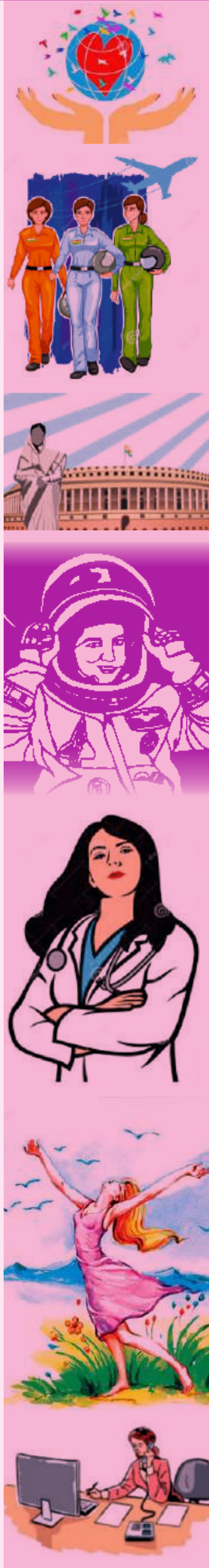

और आसान शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने इंडियन बैंक द्वारा प्रकाशित 'संवाद चालीसा' पुस्तिका की विशेष रूप से सराहना की । तुलसीदास और केशवदास की रचनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने भाषा के सरलीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला । अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने कहा कि हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, जाति, धर्म, संस्कृति आदि से ऊपर उठकर "एक राष्ट्र - एक भाषा" नीति को अपनाने की आवश्यकता है। उनके भाषण को सभी ने सराहा।

कार्यक्रम को आकर्षक बनाते हुये, अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा), इंडियन बैंक और मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समारोह के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों द्वारा, कई पुस्तकें / पत्रिकाएं / सहायक-साहित्य का गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विमोचन किया गया।

पत्रिकाओं और सहायक-साहित्य के विमोचन के पश्चात, "राजभाषा हिंदी का सरलीकरण" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं द्वारा पावर-पॉइंट प्रस्तुति की गई।

श्री अजयकुमार, मुख्य प्रबंधक (राभा) ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जिसमें उन्होंने इंडियन बैंक के महाप्रबंधक (मासंप्र / राभा), श्री हरीश सिंह चौहान, प्रतिनिधि, भारत सरकार, राजभाषा विभाग तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को उनकी गरिमामयी उपस्थिति से संगोष्ठी को यादगार बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया । उन्होंने श्री संजय लाडे, अंचल प्रबन्धक, इंडियन बैंक, भोपाल अंचल और उनकी टीम को भोपाल में सेमिनार के सफल आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पति-पत्नी में किसी बात पर बहस हो रही थी...
तकरीबन घंटे भर की तू-तू मैं-मैं के बाद,
पत्नी की एक पंक्ति ने सारा विवाद खत्म
कर दिया...
'तुम जीतना चाहते हो या
जीना चाहते हो'

पप्पू - अरे यार, सुना है सरकार ने
गुटखे का दाम बढ़ा दिया है,
अब क्या करोगे?
गप्पू - करना क्या है...
आधा घंटा लेट
थूकेंगे, और क्या...!!!

शहर में रहने वाली लड़की की
शादी गांव में हुई...
बहू जींस पहन कर घर से बाहर
जाने लगी...तो,
सास बोली - क्या जमाना है...
बहू तुरंत बोली - दही जमा लेना मां जी,
मैं शॉपिंग करके आती हूं!!!

बॉस - छुट्टी क्यों चाहिए
तुम्हें?
कर्मचारी - सर लेकर
देखनी है, कैसी होती
है...!!!

21 फरवरी 2019 को भोपाल में राजभाषा अधिकारियों द्वारा किए गए राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक

इंडियन बैंक द्वारा दिनांक 22.02.2019 को भोपाल में अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन

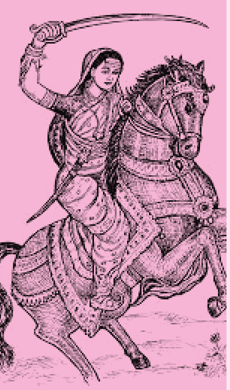

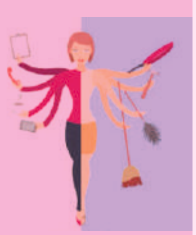

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

आज के समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर चर्चा प्रायः होती रहती है लेकिन महिला सशक्तिकरण का सही मायने, इसकी वास्तविक स्थिति और इस क्षेत्र में हुई कार्य प्रगति की सही चर्चा शायद कहीं होती हो। आज महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत और स्वस्थ चर्चा करने से पहले यह जरूरी है कि हम इसके सही मायने और इसकी जरूरत को सही अर्थों में समझे। महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ क्या है? यदि स्पष्ट शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जिंदगी के हर छोटे-बड़े काम का निर्णय खुद लेने की शक्ति ही महिला सशक्तिरण है। परंतु हम कहीं महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह तो नहीं लगा बैठे है कि हम सशक्त होने के नाम पर नारी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हो। महिलाओं में यह बोध तो नहीं आ रहा है कि वे सशक्त होने के साथ-साथ सामाजिक रीतियों का विरोधी तत्व बनती जा रही है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपनी अच्छी बुरी सभी इच्छाओं को पूरा करने की जद्दो जहद में लगी हुई है।

महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सभी महिलाओं को उनकी निजी स्वतंत्रता एवं अपने विकास एवं समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं निर्णय लेने के लिए महिलाओं को दिये गए अधिकारों को महिला सशक्तिकरण कहा जा सकता है। हमारे समाज में यह हमेशा से एक प्रश्न बना हुआ है कि क्या महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है या क्या भारतीय समाज में महिलाएं सशक्त हो सकती है? इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय समाज में चिर काल से व्याप्त पुरुषवादी वर्चस्व को खत्म किया जाए। सदियों से भारतीय समाज में पुरुषवादी सोचों एवं विचारों का दबदबा रहा है। इस पुरुषवादी मानसिकता ने समाज की महिलाओं को कभी भी समाज में उचित अधिकार नहीं दिया। हमेशा ही महिलाओं को दबाया या कुचला गया। क्या कोई इसे स्पष्ट कर सकता है कि जिस समाज में चिर काल से हमेशा ही पुरुषों को महत्व दिया गया हो, पुरुषों को ही प्राथमिकता दी गई हो, उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी तथा महिलाएं कैसे सशक्त बनेगी। जब तक समाज से इस असमानता रूपी कोढ़ को समाज से खत्म नहीं किया जाएगा महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकारण को वास्तविक धरातल पर सिद्ध एवं सार्थक बनाने में महिलाओं की भूमिका भी अहम है। आज महिलाओं को स्वयं अपने आप को दैहिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से हर कार्य को करने में पुरुषों के बराबर या अपने को सक्षम समझना होगा। आज जरूरत है कि महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होने के बजाए आत्म निर्भर बने।

क्यों आवश्यक है महिला सशक्तिकरण ? यह

सवाल उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है समाज का अस्तित्व। क्या यह सत्य नहीं है कि जिन महिलाओं को सदियों से पीछे ढकेला गया, वे ही समाज निर्माण में अहम भूमिका अदा करती आयी है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। क्या समाज के आधे वर्ग को अविकसित, अनपढ़ और आसक्त बने रहने एवं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? क्या देश के इस आधे हिस्से के विकास के बिना देश विकसित हो सकता है? युगनायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि "जो जातियाँ नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न आगे उन्नति कर सकेंगी।" नारियां देश एवं समाज का अभिन्न अंग हैं। आज के समय में महिलाओं के सहयोग

के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता। अतः जरूरत है कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही नीतियों में पूर्ण रूप से अपना सहयोग देकर इसे सफल बनाएं।

प्राचीन काल से वर्तमान युग तक महिलाओं के स्थिति में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आए हैं। कभी महिलाओं को देवी कहकर पूजा गया तो कभी उसे अबला,रमणी कह कर भोगविलास की वस्तु समझा गया तो कभी उसे सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी आदि नामों से पुकारा गया तो कभी पुरुषवादी सोच ने उसे उसके अधिकारों से ही वंचित रखा। नारी मनुष्य वर्ग का अभिन्न अंग है। उसके स्थिति का समाज पर और समाज का उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समाज निर्माण में मात्र पुरुष ही भाग ले और नारी को घर के पिंजरे में ही कैद रखा जाए, यह अनुचित है। इसमें नारी वर्ग को और समाज को तो हानि है ही, प्रतिबन्ध लगाने वाले पुरुष भी उस हानि से नहीं बच सकते।

आज महिलाओं की स्थिति में ठोस सुधार हुए हैं। आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है। आज महिलाएं वो सभी कार्य कर सकती है जिनसे उन्हें पहले वंचित रखा गया था। भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को कई अधिकार दिए गए इन सभी के अलावा महिलाओं की रक्षा के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनी है जिसने हर क्षेत्र में पुरुषों से अधिक बढ़ चढ़ कर न केवल भाग लिया बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध की है। आज महिलाएं घर हो या बाहर हर जगह पुरुषों के समान ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।

महिलाएँ आज कला, राजनीति एवं नौकरियों में अपनी पहुँच बना कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। महिलाओं द्वारा नौकरी करने से परिवार की आय में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों की पुरुषवादी सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले जहां चिकित्सा एवं सेना जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी वहीं लड़कियां आज डाक्टरी की परीक्षाओं में अव्वल आती है। आज महिलाएं जल, थल, वायु सभी सेनाओं में भाग लेकर देश की रक्षा कर रही है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है, परन्तु आज भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार हो रही है। अभी भी देश की आधी आबादी अपने अधिकारों से वंचित है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा और शोषण की घटनाएँ कम होने के बजाए बढ़ती जा रही है। आज भी समाज में महिलाएं दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, लिंग भेद, बलात्कार, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, तीन तलाक जैसी कई बुराइयों का शिकार हो रही है। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के आधार पर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों की सूची में भारत भी शामिल है। हालाकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अपराधों के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी संख्या में कानून बनाए हैं जिनका अगर सही से पालन होता तो भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत पहले खत्म हो जाता परंतु पुरुषवादी मानसिकता के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज हर दिन महिलाओं से जुड़ी घरेलू

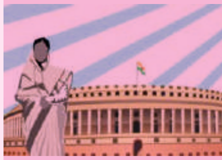

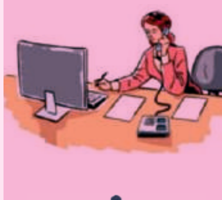

हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि जैसी कई खबरें सुनने में आती है। भारत में यौन उत्पीड़न के कई ऐसे मामले हैं जो प्रशासन की लापरवाही, एवं कमजोर कानून व्यवस्था या भ्रष्टाचार के कारण दर्ज ही नहीं होते हैं।

महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी को असली आजादी हासिल नहीं हो सकती। वह सदियों पुरानी मूढ़ताओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके।

आज का युग नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं का युग है। इसके उदीयमान स्वर्णिम, प्रभात की झाकियाँ अभी से देखने को मिल रही है। युगदृष्टा स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार - "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पायेगी"। वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास अपेक्षित है। नारियों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आगे आना होगा अपनी कार्यक्षमता से अपनी शक्ति का परिचय देना होगा। महिलाओं को अब जागृत होने की आवश्यकता है और समाज को यह बताना है कि वे लाचार नहीं है बल्कि उन्हें लाचार बनाया गया है। आज जरूरत है कि प्रत्येक नारी अपने अधिकारों के लिए स्वयं जागृत हो, स्वयं को पहचाने, अपने विकास के पथ को पहचान कर उस पर अग्रसर हो तथा अन्य महिलयों को भी जागृत करें, उनका सही मार्गदर्शन करें। आज सम्पूर्ण समाज, देश और विश्व का विकास नारी के विकास और कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण से ही संभव हो सकता है।

श्याम कुमार दास
सहायक प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

बेटी !!!

एक अनमोल रत्न होती है बेटी !!!
जन्म लेते ही लाती है खुशियाँ,
अपनी एक मुस्कान से बदल देती हमारी दुनिया,
एक अनमोल रत्न होती है बेटी !!!

जिसकी एक किलकारी पे,
ख़ामोशी भी जग उठे........
जिसकी मासूमियत में,
अपना बचपन दिखे........

जिसकी खुशियों में,
अपना संसार बसे..........
जिसके चेहरे में,
अपना अस्तित्व दिखे.......
जिसके होने से घर- घर सा लगे
ऐसी अनूठी सी होती है बेटी,
एक अनमोल रत्न होती है बेटी!!!

बड़ी प्यारी बातें है, उसकी......
वीणा की झंकार सी लगाती है......
सूने घर में संगीत जो भर दे....
बेटी उसका नाम है.....
पता नहीं कब बड़ी हो जाती है बेटी.....
जब आती है बिदाई की बेला,
अहसास तब होता है, क्या होती है बेटी....
माता- पिता का गौरव है बेटी....
एक अनमोल रत्न होती है बेटी !!!

शांभवी प्रिया
सहायक प्रबंधक (आईटी)
अंचल कार्यालय, पुणे

हमारे समाज का सच

बात कुछ दिन पुरानी है। मैं किसी कारणवश हॉस्पिटल गयी हुई थी। वहां पर कतार में मेरे बाद एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ खड़ी हुई थी। उस बच्ची की उम्र करीब 6-7 वर्ष रही होगी। बातों-बातों में पता चला कि वह सिर्फ इंजेक्शन लगवाने आई हुई है। अतः मैंने उसे और उसके पिता को पहले अन्दर जाने का अनुरोध किया। जब मेरा नंबर आया तब वह बच्ची अकेले ही इंजेक्शन लगवाने अन्दर चली गयी। इतनी कम उम्र में बच्चे अक्सर इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं एवं रोते भी हैं। अतः जिज्ञासा वश मैंने डॉक्टर से परमिशन लेकर, उन सज्जन को अन्दर जाने को कहा ताकि वो अपनी बच्ची को हिम्मत बंधा सकें एवं रोने पर चुप करवा सकें।

मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची बहुत ही बहादुर है उसे पिछले 7 दिनों से दोनों टाइम इंजेक्शन लग रहे हैं और आने वाले 5 दिनों तक हमें दोनों टाइम इंजेक्शन लगवाने आना है। आगे उन्होंने जो कुछ भी बताया वह बेहद ही दुखी करने वाला साथ ही संतोषजनक भी है।

उन्होंने बताया कि- "मैं इस बच्ची का मामा हूँ। कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता-पिता की असमय मृत्यु हो जाने के बाद से मैं ही इस बच्ची का पालन-पोषण कर रहा हूँ। यहाँ तक कि इस बच्ची को अपने पास रखने के कारण मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गयी और पिछले एक साल से हम दोनों अलग रह रहे हैं। अगर मेरी माँ जीवित होती तो कोई बात नहीं थी पर मेरे घर में मैं और मेरे पापा ही हैं। ऐसे में मैं इस बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दूँ ? मेरे और पापा के बाद इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं इस बच्ची को स्वावलंबी बना रहा हूँ ताकि जब हम दोनों न रहें तब वह अपना ध्यान खुद रख सके"

उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि इस प्यारी सी बच्ची की परिस्थिति पर दुखी होऊं या खुश होऊं। भले ही उसके माता- पिता इस दुनिया में नहीं हैं पर अपने परिवार को दाव पर लगा कर उसको सँभालने के लिए उसके मामा हैं। अक्सर देखने में आता है कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो लोग अपने करीबियों की मदद करने के इच्छुक होते हैं, वह भी परिस्थिति से हार कर मदद से पीछे हट जाते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति का इतना बड़ा त्याग करना सराहनीय है। सत्य ही कहा है किसी ने कि "मामा शब्द में दो माँ हैं"। एक छोटे से उदाहरण से उस सज्जन पुरुष ने न जाने कितने लोगों को सीख दे दी।

एक तरफ जहाँ हम स्त्रियों को ममता का स्वरुप मानते हैं और उनकी तुलना स्वयं माता रानी से करते हैं, वहीं कुछ स्त्रियाँ न जाने क्यों अपनी सुख-सुविधा के लिए या फिर किसी की बातों में आकर अपनी जिम्मेदारियों से बचती हैं। वे क्यों नहीं सोचती कि ऐसी विकट परिस्थिति तो किसी पर भी आ सकती है। मेडीक्लैम/जीवन बीमा तो हर कोई कर सकता है पर क्या ऐसी कोई पॉलिसी या व्यवस्था है जिसके द्वारा हम हमारे बच्चों की खुशियों का उनके भविष्य की बीमा कर सकें? आजकल के ज़माने में कोई भी ये कैसे सुनिश्चित करे कि यदि भगवन न करे कल को हमें कुछ हो जाये तो हमारे बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा और कैसे करेगा। अगर हम मरणोपरांत पॉलिसी का पैसा या फिर ज़मीन- जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़ भी जायें तो क्या हम आश्वस्त होंगे कि उस सबके लिए अगर कोई हमारे बच्चों की देख-रेख करे भी तो क्या वह पूरे दिल से और समर्पण से हमारे बच्चों का

ध्यान रखेगा और उन्हें वही स्नेह, वही प्रेमभाव से बड़ा करेगा जैसे वह स्वयं अपने बच्चों को करेगा।

हमें चाहिए कि हम सब मिल कर एक ऐसी पालिसी लें जिसका प्रीमियम – प्रेम, स्नेह, सद्भावना हों एवं उसकी बीमा राशि के तौर पर हमारे बच्चों को एक स्वस्थ / सुरक्षित वातावरण मिले। एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो जहाँ पहले एक घर / समाज / शहर / प्रदेश / देश और फिर सम्पूर्ण विश्व में सहयोग एवं सद्भावना का माहौल हो। हर तरफ प्रेमभाव होने के साथ-साथ दूसरे की तकलीफ से तकलीफ और दूसरे की ख़ुशी में ख़ुशी निहित हो।

एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ कोई भी बच्चा या बूढ़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे।

श्रीमती पूजा गौर
लिपिक
अंचल कार्यालय, भोपाल

लड़की

जेठ की तपती दोपहरी है, लड़की की जिंदगी।
हर महानता अभिप्रेरणा व सूत्रधार में निहित है,
लड़की की जिंदगी।
हर पल हर क्षण प्रतिफल शसंकित है,
लड़की की जिंदगी।
पत्थरों की खनक से सहम जाती है,
क्योंकि काँच की ईमारत सी है,
लड़की की जिंदगी।
दर्द का सैलाब, असुरक्षा की दीवार सी घिरी है,
हर युग में जुए के दाव पर लगी है,
लड़की की जिंदगी।
आजीवन पराधीनता के मकड़ में लिप्त
लड़की की जिंदगी।
बाप, भाई, पति व पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी
पराधीनता से उबर नहीं पाई है
लड़की की जिंदगी।
आधी दुनिया की भागीदारी है
लड़की की जिंदगी।
परंतु आज आरक्षण ढूंढ रही है
लड़की की जिंदगी
त्रिशंकु नीतियों प्रावधानों में
फंस के रह गई है लड़की की जिंदगी
कितनी बेबस लाचार आज के विज्ञान के आलोक में
अपने ही गर्भ तक असुरक्षित है लड़की की जिंदगी
यूँ ही सिलसिला चलता रहा हर नर का हाथ
आसमान की तरफ उठेगा रुक जाएगा काल चक्र सृष्टि
बेटी बचाओ बेटी पढाओ के नारे दीवारों पे नहीं
हर मानव के दिल पे लिखना होगा ।

बिंदेश्वरी प्रसाद
वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
अंचल कार्यालय, करनाल

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

बेटियों को शिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना बेटों को शिक्षित करना । जब बेटियों को बराबरी का हक मिलता है तभी समाज और देश तरक्की करता है। जब तक बेटी सुरक्षित और शिक्षित नहीं होगी तब तक देश और समाज की हालत नहीं बदल सकती है । इस लिए वर्तमान में समाज द्वारा देश की महिलाओं अथवा बेटियों को दूसरा दर्जा देनेवाली मानसिकता को बदलने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराई एवं कुप्रथाओं को त्यागने और इनकी समाज में स्थिति सुधार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा “बेटी बचाव–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को हमारे देश की बेटियों के लिए प्रस्तुत किया गया।

“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम की शुरूआत देश में बेटियों के गिरते जीवन स्तर और उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए चलाई गई योजना है । इस योजना का उद्देश्य देश में निरंतर घटते लिंगानुपात पर रोक लगाना तथा कन्या भ्रूण हत्या को सख्ती से रोकना है। साथ ही साथ बालिका साक्षरता के स्तर को बढ़ाना , बालिका स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना , लिंग भेद को खत्म कर बालिकाओं को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर प्रदान करना और उन्हें सुरक्षित माहौल एवं मूलभूत अधिकार दिलाना है। देश में बालिकाओं का पोषण , स्वस्थ व रोजगार स्तर लड़कों की तुलना में अत्यंत पिछड़ा हुआ है।

बेटियों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अधिकारीक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। ये एक सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लिंग असामानता होते हुए नारी सशक्तिकरण की कल्पना करने से धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा और आनेवाली पीढियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।

सूरज पांडे
सहायक प्रबंधक
जंगीपुर शाखा

वो शख्स कोई और था

वो शख्स कोई और था ये शख्श कोई और है,
मुस्कान कभी लबों पे थी उदासियों का दौर है,
बुलन्दियों के ख्वाब थे अब हे नाकामियों का सिलसिला,
कैसे बताऊँ वक्त ने बदला तुम्हे, कुछ तो हुआ जरुर है
बुलंदियों पे है खड़ा या शैहरतों से है घिरा,
न जाने कितनी मुश्किलों से वो आदमी है लड़ा,
न वक्त को कहो तू वक्त कब गुनाहगार है,
ऐसे यहाँ कुछ मिलता नही ये तो दुनिया का दस्तूर है,
हो शोलों का सफ़र की काँटों की हो डगर,
मुस्कुराता तू चल मदद करेगा वो खुदा,
छिपा ले अपने घाव तू सीने को अपने ले चाक तू,
अरे उठ
अरे उठ मेरी जां अभी चलना है तुझे

आनंद सिंह
शाखा प्रबंधक
मकरपुरा शाखा

हमारे बैंक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान

डॉ॰ वी. शांता को “कैंसर क्रूसेडर” के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1955 में अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट से शुरुआत की थी तथा ये पिछले 50 वर्षों से विभिन्न प्रकार के कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रही हैं।डॉ॰ वी. शांता को पद्मविभूषण, वरैमन मैगसेसे पुरस्कार सहित 18 बार लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

श्रीमती मैथिली गोविंदराजन के पति श्री गोविंदराजन आईपीएस अधिकारी थे तथा काम के सिलसिले में उनका अधिकतर समय कार्यालय में ही बीतता था। ऐसे में भी श्रीमती गोविंदराजन ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी तथा विकट परिस्थितियों में भी दृढ़ता व विवेकसंगत तरीके से कार्य किया। श्रीमती मैथिली गोविंदराजन पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन की माताजी हैं।

श्रीमती एस. लक्ष्मी ने वर्ष 1997 में पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर तमिलनाडु पुलिस सेवा में प्रवेश किया। कड़े से कड़े मामलों को हाथ में लेने की इनकी काबिलियत के चलते ये “सुपर कॉप” के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें वर्ष 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित उत्तमर गांधी मेडल भी दिया गया।

मार्शल आर्ट कलाकार के घर जन्मीं वी. नानम्माल ने 8 वर्ष की आयु से ही योगाभ्यास शुरू कर दिया था। 50 से अधिक आसनों में अभ्यस्त होने के साथ ही श्रीमती नानम्मल को प्राकृतिक चिकित्सा व नैचुरल वे ऑफ लिविंग में भी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले 5 दशकों में 1 अरब से भी ज़्यादा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के साथ ही लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

श्रीमती पी सुशीला ने काफी छोटी उम्र में ही औपचारिक शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण ले लिया था। इन्होंने वर्ष 1950 से अपने करियर की शुरुआत की। इन्हें पद्मविभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। 2 बार केरल राज्य पुरस्कार, 3 बार आंध्र प्रदेश राज्य पुरस्कार व 5 बार तमिलनाडु राज्य पुरस्कार से नवाजा गया । भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक गीतों हेतु गिनीज़ अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

श्रीमती मदुरै चिन्न पिल्लै का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया था। घोर गरीबी व असमानता के माहौल में भी सामाजिक कार्य करने का उनका संबल कमजोर नहीं हुआ। वह मजदूर समूह की महिला मुखिया चुनी गई और जिसके बाद उन्होंने "पिल्लू कलंजियाम" नामक स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व सम्भाला। श्रीमती चिन्न पिल्लै को हाल ही में पदमश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।साथ ही भारत सरकार ने "स्त्री शक्ति पुरस्कार", तमिलनाडु सरकार ने अव्वैयार पुरस्कार से भी नवाजा है।

हमारे बैंक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान

श्रीमती ए सुगंधी ने वर्ष 1992 में आईएएस सेवा में प्रवेश किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने में योगदान दिया। श्रीमती सुगंधी को "शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा" के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया। उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा स्वीप (SWEEP) 2011 पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त वे आईएएस सर्किल में एक जाना-माना नाम हैं।

कैप्टन सुधाकर अक्टूबर, 1987 में जाफना, श्रीलंका में एक टैंक में फंसे हुए लोगों के बचाव कार्य के दौरान कार्यरत मिशन की 65वीं रेजीमेंट का नेतृत्व करते हुए मारे गए। इस दुखद घटना के बाद उनके घर में केवल उनकी पत्नी श्रीमती शोभा सुधाकर व 2 वर्षीय बेटा रह गए थे। श्रीमती शोभा सुधाकर ने हिम्मत नहीं हारी। वर्तमान में वह इंडियन बैंक में कार्यरत हैं तथा 15 अगस्त के अवसर पर उन्हें विद्यालयों में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है।

एक कृषक परिवार में जन्मीं डॉ॰ विजयलक्ष्मी नवनीतकृष्णन को छोटी उम्र से ही लोक कला व संगीत में रुचि थी। उन्होने अपने पति के सहयोग से तमिल लोकगीतों व नृत्यों पर गंभीर अनुसंधान कर उन्हें सहेजा है।वह तमिल लोककला की प्रतिपादक के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है।

वह तमिलनाडु राज्य से भारत में डिवीजनल फायर ऑफिसर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। सराहनीय सेवा हेतु इन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति मेडल प्राप्त हुआ है तथा 2 लोगों की जान बचाने हेतु राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही दक्षिण कोरिया (2010), ऑस्ट्रेलिया (2012) व यूएसए (2017) में आयोजित फायर फाइटर खेलों में भारत के लिए कई मेडल जीते।

19 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सेलेना दीप्ति 14 वर्ष की आयु में ही जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग हासिल कर चुकी हैं। वर्तमान में सेलेना टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग में 24वें पायदान पर हैं। वे विविध आईआईटीएफ़ प्रतियोगिताओं में भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं जिसमें उन्हें स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक हासिल हुए हैं। वर्ष 2018 में सेलेना उभरते खिलाड़ी हेतु भारत खेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुई।

अक्करै बहनें (Akkarai Sisters) गायिका व वाइलिन वादक हैं। सुश्री एस स्वर्णलता को मद्रास विश्वविद्यालय से एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल है तथा कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में भी उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सुश्री एस शुभलक्ष्मी को वर्ष 2007 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा वे "द वीक" पत्रिका द्वारा विविध क्षेत्रों से पहचानी गई 50 होनहार शख़्सियतों में से एक थीं।

सशक्त स्त्री - सफल अर्थव्यवस्था

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है। कई सरकारी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बावजूद, भारत में महिलाएं अभी भी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के मामले में समान अवसरों से वंचित हैं। हालांकि, विशेषकर शहरी केंद्रों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी कई तरह के लाभों से वंचित हैं। कई सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा ताकि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिल सके। हम सभी जानते हैं कि एक सही समाज के निर्माण में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। सामाजिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में उनसे जुड़े आर्थिक मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आज के दौर में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाए। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कम माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब आत्मनिर्भरता और विशेषकर आर्थिक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता परिलक्षित होगी । महिलाओं को जरूरत है अपने अस्तित्व को पहचानने की तथा इसको बनाए रखने की ।

देश बदल रहा है महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है, समय के साथ-साथ नारी और अधिक सशक्त होती जा रही है । परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात तो सत्य है, किन्तु परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ है और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है, ये बात अधिक महत्त्व रखती है। देखा जाए तो हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएँ रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है जैसे- सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी आदि पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई होल्कर, रानी चेन्नम्मा, रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी आदि महान रानियों से लेकर इंदिरा गाँधी और किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्ज़ा आदि आधुनिक भारत की महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अन्तरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है, इनमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला प्रमुख हैं।

यह सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि हर युग में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म किया जा सकता है। महिलाओं का विकास देश का विकास है । महिलाओं की साक्षरता, उनकी जागरूकता और उनकी उन्नति न केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है बल्कि उनकी जागरूकता एवं साक्षरता, देश के विकास में भी अहम् भूमिका निभाती है। इसलिए सरकार द्वारा आज के युग में महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास पर बल दिया जा रहा है, गाँव और शहर में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत प्रदान करना ही असल में नारी सशक्तिकरण है ।

पुरूषों की भाँति महिलाएँ भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलम्बी होना चाहिये ताकि समय आने पर वह व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें । यही जागरूकता ही तो

उनके, उनके परिवार को व देश के विकास को गति देगी एवं एक नई दिशा देगी।

अन्य देशों की तुलना में भारत की महिलाओं एवं लड़कियों को निरक्षरता, कुपोषण, दमन, सामाजिक भेदभाव, गरीबी एवं शक्तिहीनता का व्यापक बोझ वहन करना पड़ता है। बाल विवाह की प्रथा तथा लड़कियों का 'पराया धन मानने की दुराग्रही दृष्टि ने अनेक बालिकाओं के बचपन का गला घोंट दिया और छोटी आयु में ही उन पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। शिक्षा तथा रोजगार के लिए घर से बाहर निकलनेवाली महिलाओं को परम्परागत एवं सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसे अपर्याप्त माना जाता है जिसे दृढ़ करने की आवश्यकता है।

नए सामाजिक नियमों, कानूनों एवं क्रियात्मक व्यवस्था के अभाव में, राजस्थान की महिलाएँ एक

संकटपूर्ण संक्रामक अवस्था से गुजर रही हैं। यह आवश्यक रूप से चुनौती का समय है। निम्न शैक्षणिक स्तर तथा गौण प्रशिक्षण न केवल महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित कर देता है अपितु उन्हें औपचारिक प्रकार के अधिक सुरक्षित एवं सुवैतनिक रोजगारों की तलाश करने अथवा उसकी आंकाक्षा के मार्ग को भी अवरूद्ध कर देता है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में महिला साक्षरता की दर अधिक है, केवल उन्हीं राज्यों के रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में महिलाओं का अनुपात उच्च है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कार्यों में महिलाओं की व्यस्तता भी उन्हें लाभकारी व्यवसायों में भागीदारी से रोक देती है। यदि सिर्फ और सिर्फ घर के पुरुष सदस्य ही सहयोग करें, तो क्या महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके एवं जिसके संपूर्ण प्रभाव उन्हें सशक्त कर सकें। अत: पुरुषों एवं महिलाओं के कार्यों के प्रति दृषिटकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण ने समस्त विश्व की महिलाओं के जीवन एंव क्रिया-कलापों पर व्यापक प्रभाव डाला है । आज भारत में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। हमारे संविधान ने महिलाओं को कानूनी नागरिकता प्रदान की है परन्तु इस देश में उनके सम्मान का महत्त्व कम है। महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। परन्तु पुरुष प्रधान समाज को यह स्वीकार्य नहीं है और इसी कारण भारतीय महिलाओं को विशेषकर उपेक्षित महिलाओं को कष्ट झेलने पड़ते हैं। चाहे वह परिवार हो, समुदाय हो अथवा समाज, महिलाओं को समान नौकरियों में निम्न वेतन, शिक्षा एवं रोजगार में निम्न वरीयता आदि के संदर्भ में हर स्थान पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। विकासशील देश के संदर्भ में, वैश्वीकरण ने लैंगिक असमानता को और भी तीव्र कर दिया है, हालांकि इसने कुछ देशों में महिलाओं के लिए रोजगार के अभूतपूर्व अवसर खोलकर लैंगिक असमानता को कम भी किया है।

समाजवादी देशों जैसे कि क्यूबा एवं चीन में उत्तरी अमेरिका तथा पशिचमी यूरोप में पुरुषों की ही भांति महिलाओं की सहभागितादर उच्च है। लैटिन अमेरिका में, महिलाएँ अधिकतर सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, विशेषकर घरेलू सेवा, कार्य, शिक्षण तथा लिपिक विषयक व्यवसायों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में, युवती को नियुक्त करने वाले विश्व स्तरीय व्यवसायों के विकास से महिलाओं की सहभागिता दर में वृद्धि हुई है।

विकासशील देशों के अधिकांश भागों में, महिलाएँ 20 वर्ष की प्रारंभिक अवस्था से ही आर्थिक क्रियाओं के उच्च स्तर तक पहुँच गई हैं, जबकि पुरुष इस स्तर को थोड़ी देरी से प्राप्त करते हैं। दक्षिणपूर्वी एशिया में, 20 तथा 45 वर्ष के मध्य में महिला रोजगार के स्तर में विशेष उतार-चढ़ाव देखा गया है। यह वह काल है जब महिलाओं को बच्चों को जन्म देना एवं उनके पालन-पोषण संबंधी कार्य करने पड़ते हैं।

वर्तमान वर्षो में महिलाओं के लिए शैक्षणिक अवसरों का कितना विस्तार हुआ है, यह विभिन्न आयु

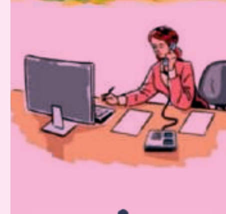

वर्ग की महिलाओं द्वारा अपनाए गए रोजगार के प्रकार से प्रतिबिंबित होता है। विशेषकर लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में जहाँ महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं युवतियाँ सफेदपोश, शहरी प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक व्यवसायों की ओर मुड़ी हैं, जो उन्हें नियमित रोजगार, पेंशन एवं दर्जा प्रदान करते हैं।

नए अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन से जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण ने वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर प्रभाव डाला है। यह उत्पादन के नए स्थानिक वितरण से जुड़ा है जो सामाजिक संबंधों का पुर्ननिर्माण करता है, जिसमें लैंगिक संबंध भी शामिल हैं, क्योंकि श्रम बाज़ार विशिष्ट लिंग, आयु एवं धार्मिक समूहों की भर्ती करता है। ये परिवर्तन घर, समुदाय एवं बाज़ारों में भी बदलाव ला रहे हैं तथा लैंगिक संबंधों में बदलाव लैंगिक विशिष्टता में परिवर्तन को दर्शाता है।

लैंगिक विषय आज वैश्विक परिवर्तनों का केंद्र हैं। लाभ के सार्वभौमिक लक्ष्य ने विश्व भर में अनेक महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। वैश्वीकरण ने पुरूषों एवं महिलाओं को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। मुख्यतया आर्थिक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण के सामाजिक, राजनीतिक एवं दार्शनिक पहलू भी हैं। उदारवादी विचारों के सार्वभौमिकरण के विषय पर वार्ताएँ हो रही हैं ताकि सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए जा सकें।

वर्तमान भारत में अधिकांश महिलाएँ किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में कार्य करके अपना योगदान कर रही हैं, पर उनके काम को कार्यालयी आंकड़ों में नहीं आंका जाता। महिलाएँ कृषिभूमि पर कार्य करते हुए खेत जोतने एवं फसल बोने का काम करती हैं, घरेलू उधोगों में महिलाएँ खाद्य सामग्री बेचने एवं लकड़ी इकठ्ठा करने का कार्य करती हैं। चूँकि भारतीय संस्कृति महिलाओं के दुकानों, कारखानों तथा जन-क्षेत्र में कार्य करने पर आपत्ति करती है, इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। ऐसा अनुमान है कि 7 0 प्रतिशत से भी अधिक कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में घरेलू सेविका, लघु व्यापारी, शिल्पकार अथवा पारिवारिक कृषि भूमि में श्रमिक आदि व्यवसाय शामिल हैं। इनमें से अधिकांश व्यवसाय अकुशल एवं निम्न वैतनिक हैं तथा कामगारों को सुविधाएँ प्रदान नहीं करते।

हालांकि, इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सांस्कृतिक आचरण भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। हालांकि यह एक विस्तृत सामान्यानुमान है, उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा पितृसत्ता एवं सामंतवाद की प्रवृति अधिक है। उत्तरी भारत में महिलाओं पर आचरण संबंधी अधिक पाबंदियाँ हैं जिसके कारण काम तक उनकी पहुँच भी सीमित है। दक्षिण भारत में समतावाद की प्रवृत्ति अधिक है। महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तथा समाज में भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि सांस्कृतिक अवरोधों में परिवर्तन हो रहा है तथा महिलाओं को औपचारिक अर्थवयवस्था में भाग लेने की भी आज़ादी मिली है, परन्तु देश भर में नौकरियों के अभाव के कारण महिला रोजगारों की कमी को भी बढ़ावा मिलता है । परन्तु हाल ही के वर्षों में, भारत में कामकाजी महिलाओं की सिथति में काफी सुधार हुआ है। अब अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मान एवं प्रतिष्ठा के पद प्राप्य हैं तथा अधिक से अधिक कार्यस्थलों पर अब महिलाएँ पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं। रोजगार केवल एक समायोजन या मात्रा आवश्यकता नहीं है, अपितु यह स्वाभिमान एवं विकास का भी साधन है।

महिलाएँ वैश्वीकरण तथा उसकी तीव्रता से प्रभावित हुई हैं। जहाँ एक ओर कुछ महिलाएँ विकास एवं विदेशी पूँजी निवेश के लाभों का फायदा उठा रहीं हैं । वर्तमान समय में महिलाओं को न केवल अब कार्यस्थल पर स्थान प्राप्त हुआ है बल्कि शासन में भी उनका दल बना है। समकालीन वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से प्रयास किए गए हैं। राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ग्रामीण परिषदीय स्तर पर अनेक महिला प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया गया है। केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर भी महिलाएँ प्रगतिशील परिवर्तन ला

रही हैं।

महिला सशक्तीकरण अब केवल सरकारी नारों और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया, भारतीय समाज का हर तबका स्वयं इसकी जरूरत महसूस करने लगा है। ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जब किसी परिवार से लेकर देश तक की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का योगदान पुरुषों से कम रहा हो । चाहे वे घर में रहकर परिवार की देखभाल करती रही हों, या फिर बाहर निकल कर नौकरी-व्यापार आदि कर के परिवार की समृद्धि में सीधे हाथ बंटाती रही हों। उनके योगदान और महत्व को खुले मन से स्वीकार किया जाता रहा है। प्राचीन परंपरा से जुड़े कई समुदाय आज भी मातृ सत्तात्मक हैं, जहां परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक हैसियत है । फिर भी अधिकतर एशियाई समाजों में आज स्त्रियों की गिनती पुरुषों के बाद होती है। इसकी बड़ी वजह आर्थिक भागीदारी को केवल प्रत्यक्ष रूप से आय बढाने वाले कार्यो तक देखा जाना है।

शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के सक्रिय नियोजन एवं क्रियान्वयन के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा है, लेकिन खेद की भी बात है कि भारतीय समाज में महिलाओं को आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों से पृथक रखा गया है तथा पत्नी एवं माता के रूप में उन्हें पुरूष की तुलना में कम शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त है। पुरूषों एवं महिलाओं की असमानता मूलतः संरचनात्मक असमानता है तथा इसकी वैधता सांस्कृतिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

महिलाओं की आर्थिक पराधीनता और आश्रित स्थिति समाज में पुरूष और स्त्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन है और इस कारण महिलाओं का शोषण होता है। सामान्यत: यह माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र पारिवारिक कार्यो तक ही केन्द्रित है तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उत्पादन कार्यों से विरत रहना चाहिए। मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति और पुरूषों के बराबर उनकी समानता तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को केवल गृहस्थी के कार्य जो कि निजी कार्य है तक केन्द्रित रखा जाये तथा उन्हें सामाजिक रूप से उत्पादक कार्यों में संलग्न न किया जाये।

महात्मा गांधी ने स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में यह लिखा है कि 'स्त्रियों को केवल संतान उत्पन्न करने, पति की देखभाल करने और गृहस्थ कार्य को सम्पादित करने का माध्यम माना जाता है। उसे घर की दासी बना दिया गया है और जब वह काम करने के लिए जाती है तो उसे पुरूष की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार से सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का यह तकाजा है कि महिलाओं को उनकी आर्थिक समस्या से मुक्त किया जाये एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहभागी एवं स्वावलम्बी
बनाया जाये।

यह तथ्य समाज के हित में है कि मानवीय संसाधन का पूर्ण एवं प्रभावशाली उपयोग किया जाये। विकास का पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जब महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलाप से पृथक न रखा जायें एवं उन्हें विकास की व्यापक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाये। महिलाओं के प्रति भेदभाव मानवीय गरिमा तथा परिवार एवं समाज के कल्याण के विरुद्ध है। यह भेद-भाव महिलाओं को पुरूष के समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने से रोकता है। साथ ही साथ इस अवरोध के कारण महिलाओं के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी संभव नहीं हो पाता। किसी भी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य समुचित परिमाणात्मक संतुलन बनाये रखना। यह तभी संभव है जब पुरूषों और स्त्रियों को समाज में स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्त्रियों की समान सहभागिता केवल स्त्रियों के विकास की ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश के विकास की एक आवश्यक शर्त है। अत: स्पष्ट है कि मानवीय संसाधनों का विकास राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। यह कार्य तभी संभव है जब स्त्रियों को आर्थिक जीवन में भाग लेने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि समाज के सभी सदस्यों को ज्ञान और क्रियात्मकता का लाभ प्राप्त हो। आधुनिक समाज में जनसंख्या और

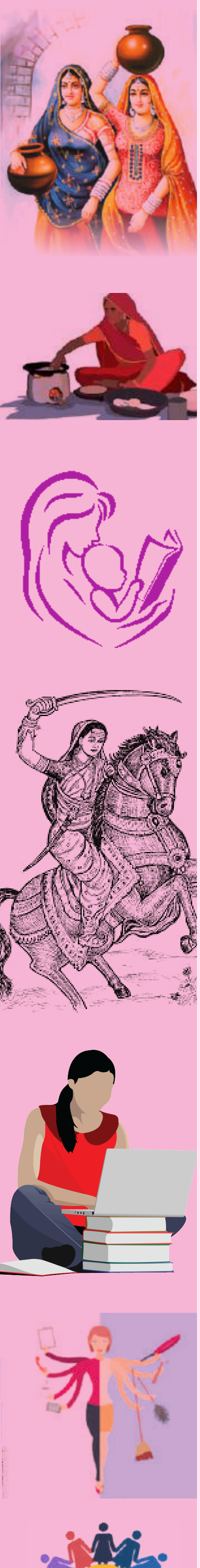

सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृतियाँ दृष्टिगोचर हो रही है, उसके अनुरूप परिवार और समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुनःपरिभाषित करने की आवश्यकता है। विवाह की आयु, परिवार के आकार, नगरीकरण, जनसंख्या स्थानान्तरण, मूल्यवृद्धि, जीवन स्तर की उच्चता और निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता इत्यादि परिवर्तन के ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। सामाजिक संकटों में निवारण और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाये रखने के लिए महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आवश्यक है। ऐसा न होने पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित न हो सकेगी।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है कि महिलाओं को आर्थिक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक सहभागी बनाया जाये तथा उनकी स्थिति पुरुषों के समकक्ष हो जाये। समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि परम्परागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या स्थान रहा है? अतः यह कहना गलत न होगा कि किसी देश या राष्ट्र के यश का शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक उस देश या राष्ट्र की महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर न चलें।

इधर कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है जोकि बहुत ही चिन्तनीय है। शहर भी महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चले हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण महिलाओं को पर्दे में रखने की सोच का जन्म होता है किन्तु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पर्दे में सुरक्षित रहेंगी? घर से बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के साथ ही घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। पर्दे में या दरवाजों के भीतर महिलाओं को बन्दिनी बनाकर रखना इन सबका हल नहीं है। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की, रौशनी को अंदर आने देने की, उस प्रकाश में अपना प्रतिबिम्ब देखने की, उसे निहारने की, निखारने की। इस कड़ी में एक और अहम दरवाजा आत्म निर्भरता और आर्थिक आत्म निर्भरता का भी है। जरूरत है हमें अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाये रखने की और एक कदम बढ़ाने की।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियां न केवल शिक्षित थीं, बल्कि गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ स्त्रियों को तो ऋषियों और मनीषियों का स्तर प्राप्त था। बाद में स्थिति बिगड़ती गई और यह दौर लंबे समय तक जारी रहा। इस दौरान जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, वह स्त्रियों की शिक्षा थी। शिक्षा स्त्रियों के मामले में केवल उच्च वर्ग तक सीमित होकर रह गई। हालांकि प्रत्यक्ष योगदान के नजरिये से देखें तो तत्कालीन भारत के दो सबसे प्रमुख व्यवसायों कृषि और हस्तशिल्प में सर्वाधिक संख्या स्त्रियों की ही बनी रही। यह अलग बात है कि इसमें अधिकतम संख्या कम आयवर्ग वाले परिवारों की स्त्रियों का था। ग्रामीण भारत की स्थिति आज भी यही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशियाई देशों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार कृषि और संबद्ध उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी आज भी 89.5 फीसद की है। कुल कृषि उपज में उनकी श्रमशक्ति का योगदान 55 से 66 प्रतिशत है। रोजगार के शहरी क्षेत्रों में भी अब स्थिति कमजोर नहीं रह गई है। सॉफ्टवेयर उद्योग में स्त्रियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

आज किसी भी क्षेत्र को देखें तो वहां महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हुई नजर आयेंगी। देश के कृषि और डेयरी उद्योग की तो महिलाओं के योगदान के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त नहीं की गई तो वे अपनी खुद की पहचान का विकास नहीं कर पाएंगी। अगर महिलाओं को रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि महिलाएं दुनिया की आबादी का एक विशाल हिस्सा है। अतः यह कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है।

चन्दन कुमार शर्मा
सहायक प्रबन्धक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

तिरुपति बालाजी

तिरुपति श्री वेंकटेश्वर का मंदिर, तिरुमला-तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिन्दू मंदिर है। 'तिरुमला - तिरुपति' भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। समुद्र तल से 3202 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर (बालाजी) का मंदिर यहाँ पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला (कोविल) का अद्भुत उदाहरण है।

तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगडम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। श्री वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए 'स्वामी पुष्करणी' नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला-तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ, शेषनाग के सात फनों के आधार पर बनीं 'सप्तगिरी' कहलाती है। यह सात पहाड़ियाँ वृषभाद्री, अन्जनाद्री, नीलाद्री, गरुडाद्री, शेषाद्री या शेषाचलम, नारायणाद्री, और वेंकटाद्री के नाम से सुप्रसिद्ध है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर सप्तगिरि की सातवीं पहाड़ी वेंकटाद्री पर स्थित है।

वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार, 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस सातवीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास (वेंकटेश्वर का दूसरा नाम) उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह-जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई।

यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सर्व प्रथम इच्छा भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है।

वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है।

इतिहास : माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब काँचीपुरम के पल्लव वंश के शासकों ने इस स्थान पर अपना अधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15वी सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 ई. से 1933 ई. तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हातीरामजी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के सातवे निज़ाम, मीर उस्मान अली खान ने वर्ष 1951 में इस मंदिर के प्रति 8000 रुपयों का दान दिया।

1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति 'तिरुमला-तिरुपति देवस्थानम' के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्रप्रदेश राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्रप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया।

मुख्य मंदिर श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की 'वेंकटाद्रि' नामक सातवीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को 'भगवान वेंकटेश्वर' के नाम से जाना जाता है। इन्हें सात पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वैंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल हैं: पडी कवली महाद्वार संपंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देवराया मंडपम, रंग मंडपम तिरुमला राय मंडपम, आईना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदिमी पडी कविली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराजस्वामी श्राइन पोटु आदि।

कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वैंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हरेक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहां विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से और इसके बिना भी आप यहाँ भगवान वैंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है, जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अल्वर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। लगभग पचास हजार से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के संरक्षण में है। यह तीर्थस्थल हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनमोल धरोहर है।

पी. काटम राजु
प्रबंधक (विपणन)
अंचल कार्यालय, तिरुपति

बेटी

जब जब जन्म लेती है बेटी,
खुशियाँ साथ लाती है बेटी।
ईश्वर की सौगात है बेटी,
सुबह की पहली किरण है बेटी।
आँगन की चिड़िया है बेटी,
तारों की शीतल छाया है बेटी।

त्याग व समर्पण सिखाती है बेटी,
नए-नए रिश्ते बनाती है बेटी।
जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी,
बार-बार याद आती है बेटी।
बेटी की कीमत उनसे पूछो,
जिनके पास नहीं है बेटी।

आर के प्रभावती
लिपिक
अंचल कार्यालय, करनाल

नारी तुम केवल श्रद्धा हो

नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पगतल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में।।"

\- जयशंकर प्रसाद

प्राचीन युग से ही हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूज्यनीय एवं देवीतुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियाँ वहीं पर निवास करती हैं जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

इन प्राचीन ग्रंथों का उक्त कथन आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि इसकी महत्ता प्राचीन काल में थी। कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वह नारी के प्रति भेदभाव, निरादर अथवा हीनभाव का त्याग नहीं करता है।

प्राचीन काल में भारतीय नारी को विशिष्ट सम्मान व पूज्यनीय दृष्टि से देख जाता था। सीता, सती 'सावित्री, अनसूया, गायत्री आदि अगणित भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है। तत्कालीन समाज में किसी भी विशिष्ट कार्य के संपादन में नारी की उपस्थिति महत्वपूर्ण समझी जाती थी।

कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमणों के पश्चात् भारतीय नारी की दशा में भी परिवर्तन आने लगे। नारी की स्वयं की विशिष्टता एवं उसका समाज में स्थान हीन होता चला गया। अंग्रेजी शासनकाल तक आते-आते भारतीय नारी की दशा अत्यंत चिंतनीय हो गई। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी तथा दिन-प्रतिदिन उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रकवि "मैथिली शरण गुप्त" ने अपने काल में बड़े ही संवेदनशील भावों से नारी की स्थिति को व्यक्त किया है :

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आँचल में है दूध और आँखों में पानी।"

विदेशी आक्रमणों व उनके अत्याचारों के अतिरिक्त भारतीय समाज में आई सामाजिक कुरीतियाँ, व्यभिचार तथा हमारी परंपरागत रूढ़िवादिता ने भी भारतीय नारी को दीन -हीन कमजोर बनाने में अहम भूमिका अदा की। नारी के अधिकारों का हनन करते हुए उसे पुरुष का आश्रित बना दिया गया। दहेज, बाल-विवाह व सती प्रथा आदि इन्हीं कुरीतियों की देन है। पुरुष ने स्वयं का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ग्रंथों व व्याख्यानों के माध्यम से नारी को अनुगामिनी घोषित कर दिया।

अंग्रेजी शासन काल में भी रानी लक्ष्मीबाई, चाँद बीबी आदि नारियाँ अपवाद ही थीं जिन्होंने अपनी सभी परंपराओं आदि से ऊपर उठ कर इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में भी भारतीय नारियों के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आज का युग परिवर्तन का युग है। भरतीय नारी की दशा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक समाज सुधारकों समाजसेवियों तथा हमारी सरकारों ने नारी उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा समाज व राष्ट्र के सभी वर्गों में इसकी महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया है।

फलत: आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विज्ञान व तकनीकी सहित लगभग सभी क्षेत्रों में उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। उसने समाज व राष्ट्र को यह सिद्ध कर दिखाया है कि शक्ति अथवा क्षमता की दृष्टि से वह पुरुषों से किसी भी भाँति कम नहीं है।

निस्संदेह नारी की वर्तमान दशा में निरंतर सुधार राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है। वह दिन दूर नहीं जब नर-नारी, सभी के सम्मिलित प्रयास फलीभूत होंगे और हमारा देश विश्व के अन्य अग्रणी देशों में से एक होगा।

राजेंद्र कुमार मीणा
प्रबंधक (राभा)
अंचल कार्यालय, सूरत

मेरी मातृभाषा, मेरी पहचान

मातृभाषा, इस शब्द में ही अपनापन और प्यार महसूस होता है। हम चाहे कितनी भी भाषाओं से अवगत हो परंतु जब हम कोई भी विचार करते हैं तो वह हम अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। भले ही अँग्रेजी भाषा बहुत सारे देशों की व्यवहारिक भाषा हो और वह ज्ञानभाषा बन गई हो पर फिर भी मैं अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज भाव अनुभव करती हूँ।

दुनिया में हजारों भाषाएँ हैं और हर एक व्यक्ति अपने घर में बातचीत के लिए अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना पसंद करता है। जापान और चीन आदि देशों के लोग अपनी –अपनी मातृभाषा में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं पर फिर भी उनके विकास में कोई बाधा नहीं आती है। सच तो यह है कि वे दुनियाँ में सबसे आगे है। अंतरराष्ट्रीय कामकाजों में वे अपनी –अपनी मातृभाषा में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं पर फिर भी उनके विकास में कोई बाधा नहीं आती है । अंतराष्ट्रीय कामकाजों में वे दुभाषियों की मदद लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। इन देशों से अगर कोई व्यक्ति अपने देश में किसी विषय पर चर्चा या भाषण करते हैं तो अपनी ही भाषा में करते हैं । परंतु हम अंग्रेजों का अनुसरण करके अब भी अँग्रेजी में वार्तालाप करना एक स्टेटस सिंबल की तरह अनुभव करते हैं।

मुझे अपनी भाषा में घर में और बाहर बात करना मन से अच्छा लगता है। एक तरह का सुकून मिलता है। जब भी मेरे घर में अँग्रेजी और मातृभाषा का समाचार पत्र आता है तो पहले मैं अपनी भाषा का ही समाचार पत्र हाथ में लेती हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी मातृभाषा में ही हुई और मुझे ऐसा लगता है मूल संकल्पना समझने में मुझे मेरे मातृभाषा का ही आधार लेना पड़ा और वह ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आयी। हमारे आसपास या राज्य के बाहर या देश के बाहर कोई हमारे मातृभाषा में बोलनेवाला मिल जाये तो पता नहीं क्यों हमें उनसे बात करने में अपनापन महसूस होता है।

भलें ही दुनियाँ में दूसरी अनेकों भाषाएँ हो जो ज्ञानभाषा हो और उसमें ही कार्य करना अनिवार्य हो पर वह ज्ञानभाषा ही रहना चाहिए। मुझे तो मेरी मातृभाषा पसंद है और बहुत ही प्यारी लगती है।

श्रीमती स्मिता शिरीष प्रधान
शाखा: अंचल लेखन
सामग्री केंद्र, मुंबई

कशमकश

जरा सी जिंदगी में, व्यवधान बहुत हैं, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत हैं।
कोई भी नहीं बताता, ठीक रास्ता यहाँ, अजीब से इस शहर में, नादान बहुत हैं।
न करना भरोसा भूल कर भी किसी पे, यहा हर गली में साहब बईमान बहुत हैं।
दौड़ते फिरते हैं, हम न जाने क्या पाने को लगे रहते है जुगाड़ में परेशान बहुत हैं।
खुद ही बनाते हैं हम पेंचीदा जिंदगी को, वरना जो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं।

नीरू दुहन, लिपिक
अंचल कार्यालय
करनाल

भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय

वाग्देवी, वागेश्वरी, वीणापाणि, शारदा, शतरूपा, ब्रह्मस्वरूपा सुश्री देवी सरस्वती, जिनके बारे में कहा जाता है, कि उन्होंने सृष्टि में विविध कलाओं की आधारशिला रखी। स्वयं ब्रह्मा अपनी सृष्टि से प्रसन्न नहीं थे जब तक कि मातृत्वमूर्ति ने जगत को आह्लाद से न भर दिया। क्रंदन से कलरव तक सुर-ताल की स्वर लहरियों से सृष्टि को आंदोलितकर जड़ में चेतन का संचार करने वाली धात्री ने जन-जीवन को विविध कलाओं से भर दिया।

यही भांति-भांति की कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता हुई और आविर्भाव हुआ एक शिक्षा नाम की कला का। भारत ने इसमें विश्व का मार्गदर्शन किया। विश्वविद्यालय जैसी परिकल्पनाएँ सर्वप्रथम भारत में ही साकार हुई। विश्व के कोने-कोने से छात्र विद्याध्यन के लिए भारत की शरण लेते रहे और भारत ने भी उन्हें "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥" की भावना रखते हुए हृदय से लगा लिया।

भारत स्त्री शिक्षा के प्रति कभी उदासीन नहीं था, कम से कम आंतरिक साक्ष्य तो यही इंगित करते हैं, गोभिल गृहसूत्र का विचार है कि अशिक्षित पत्नी यज्ञ करने में समर्थ नहीं होती। सहशिक्षा भी प्रचलित थी और इसमें कोई दोष नहीं माना जाता था।

वाचकन्वी गार्गी, मैत्रेयी, विश्ववारा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी, सर्पराज्ञी आदि विदुषियों ने वेदों के लेखन में अपना सहयोग दिया और अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। कालांतर में स्त्रियों के प्रति कुंठित भावनाओं ने स्त्रियों को घरेलू कामकाज तक ही सीमित कर दिया। विश्वभर में स्त्रियों की दशा दुर्दशा में परिवर्तित हो गई। शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद से हो गए और घर की चारदीवारी ही उनके लिए लक्ष्मण रेखा हो गई। भारतीय परिदृश्य वैश्विक परिदृश्य से बदतर स्थिति में था जिसके मूल में तात्कालिक राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाक्रम था। सन् 1792 में मैरी वॉलस्टोन क्राफ़्ट ने अपनी पुस्तक "विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन" में सर्वप्रथम स्त्रियों की दशा के प्रति सुषुप्त समाज को झकझोरा। तदुपरान्त सेंट साइमन, राबर्ट आवेन, फूरियर आदि ने स्त्रियों के उत्थान हेतु प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के भागीरथी प्रयासों से 1829 में भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया । 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ-साथ महिलाओं के प्रति समाज की विचारधारा में भी बदलाव आया। 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क में कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिलाओं ने शोषण के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। यूरोपीय पुनर्जागरण से भारतीय पुनर्जागरण तक आते-आते विश्व पटल पर महिलाओं की स्थिति और शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आ चुका था। हालांकि भारत में स्त्री शिक्षा अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी।

भारत में स्त्री शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या थी कि उस समय के लोग पुरुषों के मध्य अपने घर की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजना चाहते थे। ऐसे में जॉन इलियट ड्रिंकवॉटर बेथुने ने सन् 1849 में कलकत्ता के पहले बालिका विद्यालय की नींव रखी जो कालांतर में एशिया का प्रथम महिला महाविद्यालय बेथुने कॉलेज, कोलकाता बना।

भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को बुद्धिजीवियों द्वारा स्वीकारा गया और जगह-जगह पर स्त्री शिक्षा लिए प्रयत्न होने लगे। स्त्री शिक्षा भारत के हर राज्य में दूर की कौड़ी थी किन्तु उसका महत्व जाननेवाले और उसके लिए प्रयास करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। कई ज्ञात-अज्ञात, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध समाज सुधारकों, शिक्षाविदों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महर्षि डॉ. धोंडो केशव कर्वे। कर्वे जी शिक्षा के समर्थक थे और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। आप एल्फिंसटन कॉलेज में अध्यापक रहे और फिर गोपालकृष्ण गोखले जी के आमंत्रण पर सन् 1891 में पुणे के फ़र्गुसन कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। कर्वे जी शिक्षा के क्षेत्र में तो थे ही समाजसुधार से भी जुड़ गए। उन्हें विधवा स्त्रियों की दीन दशा पर अत्यंत सहानुभूति हुई। प्रथम पत्नी के निधन के बाद जब कर्वे जी ने एक विधवा महिला सुश्री गोड़बाई जी से जब पुनर्विवाह किया तब समाज का वीभत्स स्वरूप उनके सामने आया और उन्होंने विधवा उत्थान का संकल्प लिया। शीघ्र ही कर्वे जी समझ गए कि इस स्थिति का मूल कारण शिक्षा का अभाव है। कर्वे जी ने 4 मार्च 1907 को महिला महाविद्यालय की नींव रखी।

ईश्वर की अनुकंपा से काशी विद्यापीठ के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक श्रीयुत बाबू शिव प्रसाद गुप्ता को जापान जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ उन्हें महिला विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक प्रभावित किया। जब वे वहाँ से वापस आए तो विद्यालय संबंधी कुछ पुस्तिकाएँ भी वे साथ लेकर आए। महिला विश्वविद्यालय संबंधी ऐसी ही एक पुस्तिका गुप्ता जी ने कर्वे जी को भेंट की। कर्वे जी शिक्षा से जुड़े हुए थे और महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। जब उन्होंने पुस्तिका देखी तो उनके मन में भी आशा का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। सन् 1915 में 'नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस' के अधिवेशन में कर्वे जी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की आवश्यकता और उसके लाभों पर चर्चा करते हुए उसकी स्थापना का विचार रखा, जिसे सभा द्वारा सहज समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी ने भी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के विचार का स्वागत किया। कर्वे जी अपने कथन पर दृढ रहते हुए महिला विश्वविद्यालय हेतु भागीरथी प्रयत्न करते रहे। 16 जुलाई सन् 1916 में पुणे में 'महिला पाठशाला' नामक पहले महाविद्यालय के साथ दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। कर्वे जी इस पाठशाला के प्रथम प्राचार्य बने किन्तु इस पाठशाला को विश्वविद्यालय के स्तर तक लाने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए कर्वे जी ने अपना पद त्यागकर धन संग्रह करने का निश्चय किया। चार वर्षों के अथक प्रयासों से कर्वे जी ने लगभग 2 लाख 16 हजार रुपए महिला विश्वविद्यालय के कोष में जमा कराए। महिला विश्वविद्यालय के लिए यह धन पर्याप्त नहीं था अभी और धन की आवश्यकता थी। सौभाग्य से बंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विट्ठलदास दामोदर ठाकरसी जी की सहायता इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई। उन्होंने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस

विश्वविद्यालय को प्रदान की, जिसने महिला विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया। विट्ठलदास दामोदर ठाकरसी जी की माता जी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ और कुछ समय पश्चात इसे पुणे से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रथमतः सन् 1921 में इस विश्वविद्यालय से मात्र 5 महिलाओं ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आज 50,000 से अधिक महिलाएं इस विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों तथा शाखाओं में अध्ययनरत हैं।

इस विद्यालय से अनेक जानी-मानी हस्तियां शिक्षित हुई हैं जिसमें अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और रानी मुखर्जी जैसे नाम भी शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर चर्चगेट मुंबई में है। इसके अलावा दो अन्य परिसर जुहू, मुंबई व कर्वे रोड, पुणे भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। इस विद्यालय में आज डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट तक लगभग 250 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। विश्वविद्यालय आयोग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद(एनएएसी), बेंगलुरु द्वारा इस विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड दिया गया है, जो विद्यालय की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मध्य इसकी श्रेष्ठता का द्योतक है।

कुलवेन्द्र सिंह
प्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

आत्मलाप

किसी झील में कहीं दूर में
कोलाहल से परे प्रकृति के तले
सुरम्य कोकिल नाद से
बिताऊं कुछ पल
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।

सुख-दुख से कहीं दूर हो
ईश्वर के नजदीक हो
उनकी कुछ सुन सकूँ
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।

परिजनों के सानिध्य में
उनके सुख-दुख आरोग्य में
उनके होठों पे मुस्कान लाऊँ
उनके होठों पे मुस्कान लाऊँ
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।
यूँ ही राह में चलते हुए
किसी रोते हुए बच्चे के लिए
थोड़ा मैं भी बच्चा बन पाऊँ
अंजुरी भर भी खुशिया छलकाऊँ
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।

ज्यादा नहीं बस इतना करूं
खुद को परे कर साझा करूं
मिल बांट के सबके संग रहूँ
ईश्वर बस इतना आशीष दें
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।
कुल गाम धर्म समाज हित
साहित्य कला भरा हो चित्त
इस मार्ग चलना अविराम हो
ये जीवन किसी काम आए
तो लगे कि मैं विशेष हूँ।

मनोज कुमार मिश्रा
मुख्य प्रबंधक
अंचल कार्यालय, मुंबई

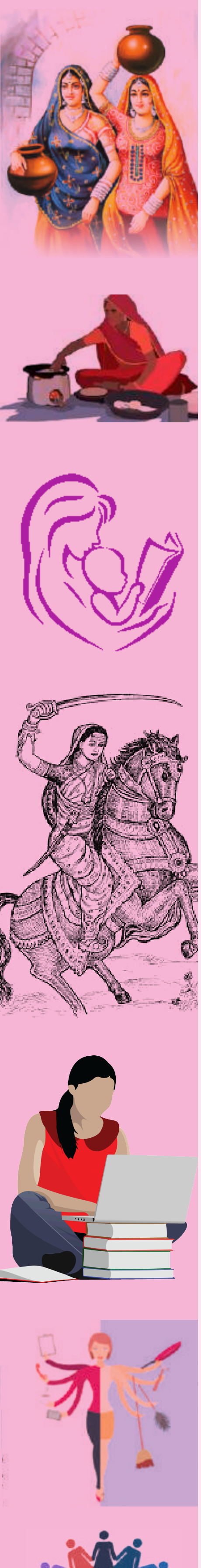

सुभद्रा कुमारी चौहान

सुभद्रा कुमारी चौहान हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। उनके दो कविता संग्रह तथा तीन कथा संग्रह प्रकाशित हुए पर उनकी प्रसिद्धि झाँसी की रानी (खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी) कविता के कारण है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं किन्तु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएँ सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण-प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है।

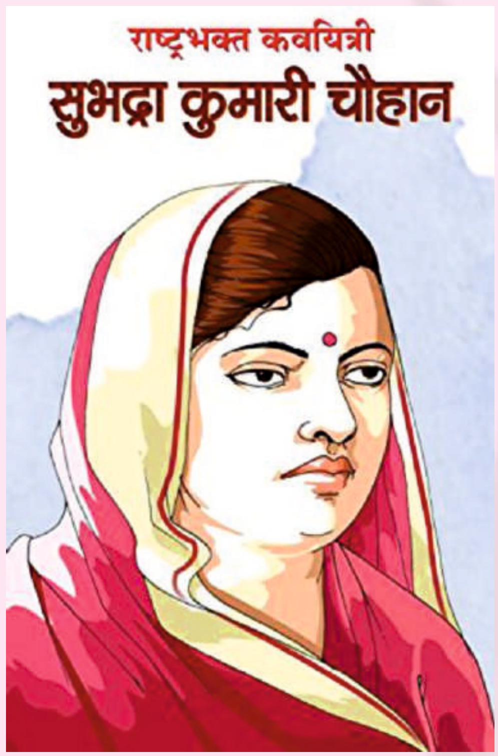

उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथसिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएँ लिखने लगी थीं। उनकी रचनाएँ राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देख-रेख में उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी हुई। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थीं।

1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। वे दो बार जेल भी गई थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, इनकी पुत्री, सुधा चौहान ने 'मिला तेज से तेज' नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन, इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ-साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थीं। डॉ. मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है।

सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम 'ठाकुर रामनाथ सिंह' था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। 'क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज' में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1913 में नौ वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका 'मर्यादा' में प्रकाशित हुई थी। यह कविता 'सुभद्राकुँवरि' के नाम से छपी। यह कविता 'नीम' के पेड़ पर लिखी गई थी।

सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उसको इनाम मिलता था। सुभद्रा अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी, मानो उनको कोई प्रयास ही न करना पड़ता हो। स्कूल के काम की कविताएँ तो वह साधारणतया घर से आते-जाते तांगे में लिख लेती थी। इसी कविता की रचना करने के कारण से स्कूल में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी।

1919 ई. में उनका विवाह 'ठाकुर लक्ष्मण सिंह' से हुआ, विवाह के पश्चात वे जबलपुर में रहने लगीं। सुभद्राकुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मणसिंह के साथ शादी के डेढ़ वर्ष के होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गई और उन्होंने जेलों में ही जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण वर्ष गुज़ारे। गृहस्थी और नन्हें-नन्हें बच्चों का जीवन सँवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की।

उनका पहला काव्य-संग्रह 'मुकुल' 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएँ 'त्रिधारा' में प्रकाशित हुई है। 'झाँसी की रानी' इनकी बहुचर्चित रचना है।

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी,
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

कानपूर के नाना की, मुँहबोली बहन छबीली थी,
लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी,
नाना के सँग पढ़ती थी वह, नाना के सँग खेली थी,
बरछी ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी।
वीर शिवाजी की गाथायें उसकी याद ज़बानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार,
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार,
नकली युद्ध-व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार,
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार।
महाराष्टर-कुल-देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब
लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

उनकी कविताओं में अनोखा दान, आराधना, उपेक्षा, उल्लास, कलह-कारण, कोयल, खिलौनेवाला, चलते समय, चिंता, जीवन-फूल, झाँसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, परिचय, पानी और धूप, पूछो, प्रतीक्षा, प्रथम दर्शन,प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रियतम से, फूल के प्रति, बिदाई, भ्रम, मधुमय प्याली, मुरझाया फूल, मेरा गीत, मेरा जीवन, मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, यह कदम्ब का पेड़, विजयी मयूर, विदा, वीरों का हो कैसा वसन्त, वेदना, व्याकुल चाह, समर्पण, साध, स्वदेश के प्रति, जलियाँवाला बाग में बसंत इत्यादि हैं।

सन् 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम में जन्मी सुभद्राकुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रचेतना और ओज कूट-कूट कर भरा है। बचपन से ही आपके मन में देशभक्ति की भावना इतने गहरे तक पैठ बनाए हुए थी कि सन् 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ आपने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आज़ादी की इस लड़ाई में आपने कई बार जेल-यात्राएं की।

विवाह के बाद वे जबलपुर में बस गई। कथनी-करनी की समानता सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है। उनकी रचनाएँ सुनकर मरणासन्न व्यक्ति भी ऊर्जा से भर सकता है। बिना किसी लाग-लपेट के सीधे-सीधे सच्चा काव्य रचने वाली यह कवयित्री सन् 1948 में एक सड़क दुर्घटना में बिछड़ गई। 'मुकुल' और 'त्रिधारा' इनकी काव्य संग्रह हैं।

1920 - 21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने नागपुर कांग्रेस में भाग लिया और घर-घर में कांग्रेस का संदेश पहुँचाया। त्याग और सादगी में सुभद्रा जी सफ़ेद खादी की बिना किनारी धोती पहनती थीं। गहनों और कपड़ों का बहुत शौक़ होते हुए भी वह चूड़ी और बिंदी का प्रयोग नहीं करती थी। उनको सादा वेशभूषा में देख कर बापू ने सुभद्रा जी से पूछ ही लिया, 'बेन! तुम्हारा ब्याह हो गया है?' सुभद्रा ने कहा, 'हाँ!' और फिर उत्साह से बताया कि मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं।

इसको सुनकर बा और बापू जहाँ आश्वस्त हुए वहाँ कुछ नाराज़ भी हुए। बापू ने सुभद्रा को डाँटा, 'तुम्हारे माथे पर सिन्दूर क्यों नहीं है और तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनीं? जाओ, कल किनारे वाली साड़ी पहनकर आना।' सुभद्रा जी के सहज स्नेही मन और निश्छल स्वभाव का जादू सभी पर चलता था। उनका जीवन प्रेम से युक्त था और निरंतर निर्मल प्यार बाँटकर भी ख़ाली नहीं होता था। 1922 का जबलपुर

का 'झंडा सत्याग्रह' देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी पहली महिला सत्याग्रही थीं।

रोज़-रोज़ सभाएँ होती थीं और जिनमें सुभद्रा भी बोलती थीं। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजिनी कहकर किया था। सुभद्रा जी में बड़े सहज ढंग से गंभीरता और चंचलता का अद्‍भुत संयोग था। वे जिस सहजता से देश की पहली स्त्री सत्याग्रही बनकर जेल जा सकती थीं, उसी तरह अपने घर में, बाल-बच्चों में और गृहस्थी के छोटे-मोटे कामों में भी रमी रह सकती थीं।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने 15 वर्ष की आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। जिस समय इन्होंने लिखना शुरू किया राजनैतिक दृष्टि से उथल पुथल का युग था। ब्रिटिश शासक बनिए की तरह यहां आए थे और प्लासी के युद्ध के बाद तो उन्होंने अपनी जड़े ही जमानी शुरू कर दी थी। धीरे–धीरे अंग्रेजी शासन का दमन चक्र बढ़ता चला गया। भारतीय स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ निराशाजनक स्थिति में पहुँच गए थे। ऐसे में कवियों, साहित्यकारों ने अपनी कलम के माध्यम से देशवासियों को जागृत किया।

वर्तमान के आइने में स्वर्णिम अतीत की झांकी दिखाकर लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पाठ पढ़ाया था उससे राष्ट्रीय आंदोलन को अत्यन्त मजबूती मिली। सुभद्रा कुमारी चौहान का हृदय भी देशप्रेम से ओत प्रोत था। देश पर कुर्बान हुए वीरों को नौजवानों का प्रेरणा स्रोत मानती हैं। अनुभूति पत्रिका के अनुसार "हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों युवक-युवतियों को युग-युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग, स्वतंत्रता संग्राम में अपने को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया है।

सहज सरल भाषा में जटिल से जटिल भावों को पिरोकर पाठक के मन में उत्साह जगा देती हैं। "बुंदेलखंड में लोक-शैली में गाये जाने वाले छंद को लेकर उसी में झाँसी की रानी जैसी रोमांचक कथा लिखना उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों का परिचय देता है।" यद्यपि उनकी इस रचना को अँग्रेजों ने जब्त कर लिया था तथापि भारतीय जन-जन को यह कविता कंठाग्र हो गयी थी।

सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। इनकी कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक-युवतियों को युग-युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग, स्वतंत्रता संग्राम में अपने को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सुभद्रा जी की 'झांसी वाली रानी थी' और 'वीरों का कैसा हो वसंत' शीर्षक कविताएँ लाखों तरुण-तरुणियों के हृदय में आग फूँकती रहेंगी।

ओमप्रकाश वर्मा
प्रबंधक (राभा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं वि.सं.), चेन्नै द्वारा दिनांक 29.03.2019 को गुरु नानक कॉलेज, वेलच्चेरी में "बैंकिंग में साइबर सुरक्षा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं वि.सं.), चेन्नै द्वारा गुरु नानक कॉलेज, वेलच्चेरी में "बैंकिंग में साइबर सुरक्षा" पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान श्री पी. सी. दाश, महाप्रबंधक (मासंप्र/राभा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै द्वीप प्रज्वलित करते हुए

कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुये श्री अजयकुमार, सदस्य सचिव, नराकास (बैंक व वि. सं.), चेन्नै

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं वि.सं.), चेन्नै द्वारा गुरु नानक कॉलेज, वेलच्चेरी में "बैंकिंग में साइबर सुरक्षा" पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों एवं सभा को संबोधित करते हुये श्री पी. सी. दाश, महाप्रबंधक (मासंप्र/राभा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

मुद्रण दिनांक : 23.07.2019